

कॉर्पोरेट अभिशासन से संबंधित रिपोर्ट

1. बैंक का कॉर्पोरेट अभिशासन दर्शन :

यूको बैंक कॉर्पोरेट अभिशासन प्रथाओं के क्षेत्र में सर्वोत्तम पद्धति के लिए अक्षरशः प्रतिबद्ध है। सर्वोत्तम कॉर्पोरेट अभिशासन प्रथाओं का पालन करना बैंक के कार्यों का एक अभिन्न हिस्सा है। बैंक का मानना है कि अच्छा कॉर्पोरेट अभिशासन अधिक से अधिक सांविधिक और नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन से है। सुशासन उच्च स्तर का व्यावसायिक सदाचार प्रदान करता है और बड़े पैमाने पर अपने सभी हितधारकों और समाज को अत्यधिक महत्व देता है।

यूको बैंक का कॉर्पोरेट अभिशासन दर्शन उसके कार्य में निहित उच्च-स्तरीय नैतिक मूल्यों को बनाए रखना है। बैंक की कॉर्पोरेट अभिशासन नीतियां पारदर्शिता एवं व्यावसायिकता के महत्वपूर्ण मूल्यों पर केंद्रित हैं। बैंक अपने सभी हितधारकों एवं समाज को अधिकतम महत्व देने हेतु कॉर्पोरेट अभिशासन को और अधिक समृद्ध करने के लिए अपनी सर्वोत्तम पद्धति के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के प्रति लगातार प्रयासरत है।

2. निदेशक मंडल

निदेशक मंडल का गठन बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और विविध उपबंध) योजना 1970 के उपबंधों द्वारा शासित होता है। कॉर्पोरेट अभिशासन संबंधी आवश्यकताओं को, जैसा कि सेबी (सूचीबद्ध दायित्वों एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 में दिया गया है, इन संविधियों के साथ पढ़ा जाए।

बैंकिंग कंपनी (अर्जन और उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम 1970 के अनुसार धारा 9 (3ए) (ए) के अंतर्गत खंड एच के अंतर्गत नामित निदेशकों तथा बैंकिंग कंपनी (अर्जन और उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) के क्लॉज (आई) के अंतर्गत शेरधारकों द्वारा निर्वाचित निदेशकों को निम्न में से किसी एक या एक से अधिक क्षेत्र का विशेष ज्ञान एवं व्यावहारिक क्षेत्र का अनुभव रहना चाहिए (i) कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था (ii) बैंकिंग (iii) सहकारी क्षेत्र (iv) अर्थशास्त्र (v) वित्त (vi) विधि (vii) लघु उद्योग या विशेष ज्ञान का कोई और क्षेत्र और व्यावहारिक अनुभव जिसे भारतीय रिजर्व बैंक के लिए आवश्यक समझे।

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने परिपत्र संख्या डीबीआर. एपीपीटी. बीसी. संख्या 38/29.39.001/2016-17 दिनांक 24.11.2016 द्वारा अधिसूचित किया है कि (i) सूचना प्रौद्योगिकी (ii) भुगतान एवं निपटान प्रणाली (iii) मानव संसाधन (iv) जोखिम प्रबंधन एवं (v) व्यापार प्रबंधन को बैंकिंग के लिए विशेष ज्ञान तथा व्यावहारिक अनुभव के क्षेत्र में उपयोगी समझा जाय।

बैंक के निदेशक अनुभवी हैं तथा उन्हें बैंक को उपयुक्त दिशा प्रदान करने एवं बैंक की कार्यप्रणाली पर प्रभावी नियंत्रण रखने हेतु बैंकिंग, वित्त और प्रबंधन आदि के क्षेत्र में आवश्यक विशेषज्ञता हासिल है।

2.1. प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी और दो कार्यपालक निदेशक भारत सरकार द्वारा नियुक्त पूर्णकालिक निदेशक हैं जबकि अन्य निदेशकों को बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

1. Corporate Governance Philosophy of the Bank:

UCO Bank is committed to the best practices in the area of corporate governance practices, in letter and in spirit. Adherence to best corporate governance practices is an integral part of Bank's operations. Bank believes that good corporate governance is much more than complying with statutory and regulatory requirements. Good governance facilitates high level of business ethics and to optimise the value for all its stakeholders and the society, at large.

UCO Bank's Corporate Governance Philosophy is to maintain high standards of ethical practices in conduct of its business. The Bank's Corporate Governance policies are woven around the core values of transparency and professionalism. The Bank constantly endeavours to ensure implementation of best practices aimed at enhancing the corporate governance that optimize the value for all its stakeholders and the society, at large.

2 Board of Directors

The constitution of the Board of Directors is governed by the provisions of the Banking Regulation Act 1949, Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970, Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970. The requirements of Corporate Governance as envisaged in the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 are to be read along with these statutes.

In terms of Section 9 (3A) (A) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the directors nominated under Clause (h) and elected by the shareholders under Clause (i) of Section 9(3) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, shall have special knowledge or practical experience in respect of one or more of the following matters namely: (i) agricultural and rural economy, (ii) banking, (iii) co-operative, (iv) economics, (v) finance, (vi) law, (vii) small scale industry, or any other matter the special knowledge of, and practical experience in, which would, in the opinion of the Reserve Bank, be useful to the bank.

Reserve Bank of India vide its circular No. DBR.Appt.BC.No.38/29.39.001/2016-17 dated 24.11.2016 notified that special knowledge or practical experience in matters or areas relating to (i) Information Technology (ii) Payment & Settlement Systems (iii) Human Resources (iv) Risk Management and (v) Business Management would be useful to a banking company.

The Directors of the Bank are experienced and have requisite expertise in the fields of banking, finance and risk management so as to provide appropriate directions and exercise effective control in the functioning of the Bank.

2.1 Managing Director & Chief Executive Officer and two Executive Directors are the whole time directors appointed by the Govt. of India while the other directors are appointed/

1970 की (जिसे इसमें इसके पश्चात अधिनियम कहा गया है) 9(3) (क) से 9 (3) (ज) तक की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत नियुक्त / नामांकित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, उक्त अधिनियम की धारा 9(3) (झ) के अधीन शेयरधारक अपने में से एक निदेशक का निर्वाचन (केन्द्र सरकार से भिन्न) कर सकते हैं।

2.2 दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार निदेशक मंडल का संघटन :

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 के उपबंधों के अनुसार निदेशक मंडल का गठन किया गया है। प्रत्येक निदेशक का विवरण, निदेशक मंडल की अन्य समितियाँ जिनमें वे सदस्य या अध्यक्ष हैं और अन्य कंपनियों में अध्यक्ष या निदेशक होने तथा बैंक में हितधारिता की जानकारी नीचे प्रस्तुत की जा रही है :

nominated under various sections viz., 9(3) (a) to 9(3) (h) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 (hereinafter referred as Act). Besides, under Section 9(3) (i) of the said Act, the shareholders of the Bank are entitled to elect one director (other than the Central Government) from among themselves.

2.2 Composition of the Board of Directors as on 31.03.2021:

The Board is constituted in accordance with the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970. The details of each Director, no. of various Board Committees where he/she is a member or Chairperson, directorship of other companies and shareholding in the Bank are as follows:

क्रम सं.	निदेशक का नाम एवं पदनाम	पदभार ग्रहण करने की तारीख	दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार धारित यूको बैंक शेयर	बैंक की समितियों में सदस्यता की संख्या	अन्य बैंक/कंपनियों के बोर्ड की समितियों में सदस्यता/अध्यक्षता की संख्या	अन्य कंपनियों में धारित निदेशक पद
Sl. No.	Name & Designation of the Director	Date of assuming office	No. of UCO Bank shares held as on 31.03.2021	No. of membership in Committees of the Bank	No. of membership/ Chairmanship in committees of the board of other bank/companies	Directorship held in other companies
1.	श्री अतुल कुमार गोयल प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Shri Atul Kumar Goel Managing Director & Chief Executive Officer	02.11.2018	26500	10	16	न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस (आईआईबीएफ) New India Assurance Co Ltd, Indian Institute Of Banking and Finance (IBF) भारतीय बैंक संघ (आईबीए) Indian Banks Association (IBA)
2.	श्री अजय व्यास कार्यपालक निदेशक Shri Ajay Vyas Executive Director	03.04.2019	----	11	----	----
3.	श्री इशराक अली खान कार्यपालक निदेशक Shri Ishraq Ali Khan Executive Director	10.03.2021	----	10	----	----
4.	श्री आनंद मधुकर सरकार के नामिती निदेशक Shri Anand Madhukar Govt. Nominee Director	04.12.2018	----	10	----	----
5.	डॉ. तुली रॉय आरबीआई के नामिती निदेशक Dr. Tuli Roy RBI Nominee Director	28.09.2020	----	04	----	----
6.	श्री के राजीवन नायर शेयरधारक श्रेणी के अंतर्गत निदेशक Shri K Rajivan Nair Director under Shareholder Category	01.02.2021	100	12	----	----

2.2.1 दिनांक 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के दौरान सेवानिवृत्त /इस्तीफा देने वाले निदेशकगण

2.2.1 Directors who retired/resigned during the year ended on 31.03.2021:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	नियुक्ति की तारीख	निदेशक पद की समाप्ति की तारीख	यूको बैंक के निदेशक मंडल की समितियों की संख्या जिनके वे सदस्य थे
Sl. No.	Name of the Director	Date of Appointment	Date of Cessation of Directorship w.e.f.	No. of Committees of the Board of UCO Bank on which a member
1	डॉ. अरविंद शर्मा, आरबीआई के नामिती निदेशक Shri Arvind Sharma, RBI Nominee Director	23.02.2015	28.09.2020	04
2	श्री आशीष साहा, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक Sri Asish Saha, Part-time Non-Official Director	27.12.2017	26.12.2020	10

2.2.2 Directors who joined during the year ended on 31.03.2021:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	नियुक्ति की तारीख	निदेशक पद की समाप्ति की तारीख	यूको बैंक के निदेशक मंडल की समितियों की संख्या जिनके वे सदस्य थे
Sl. No.	Name of the Director	Date of Appointment	Date of Cessation of Directorship w.e.f.	No. of Committees of the Board of UCO Bank on which a member
1	श्री इशराक अली खान, कार्यपालक निदेशक Shri Ishraq Ali Khan, Executive Director	10.03.2021	30.04.2023	10
2	डॉ. तुली रॉय, आरबीआई के नामिती निदेशक Dr. Tuli Roy, RBI Nominee Director	28.09.2020	Till further notification	04

नोट : शेयरधारक निदेशक श्री के राजीवन नायर का कार्यकाल 01.12.2020 को समाप्त हो गया। उन्हें फिर से शेयरधारक निदेशक के रूप में 01.02.2021 में चुना गया था।

Note : The tenure of Shareholder Director Shri K Rajivan Nair ended on 01.12.2020. He was again elected as Director under Shareholder Category w.e.f 01.02.2021.

2.2.3 निदेशकों का संक्षिप्त विवरण

श्री अतुल कुमार गोयल

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

26 दिसंबर 1964 को जन्मे श्री अतुल कुमार गोयल ने 02 नवंबर 2018 को यूको बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का कार्यभार संभाला। इसके पूर्व वे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कार्यपालक निदेशक थे।

श्री गोयल आनर्स के साथ कॉमर्स में स्नातक की उपाधि धारण करते हैं। वे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) के सदस्य हैं। इसके साथ वे सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस (सीएआईआईबी) भी हैं।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कार्यपालक निदेशक के नाते श्री गोयल ने प्रायः सभी महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो यथा बड़े कारपोरेट, जोखिम प्रबंधन, वित्तीय आयोजना और निवेशक संबंध के साथ साथ सपोर्ट सेवा, कारोबार प्रक्रिया रूपांतरण, अनुपालन आदि में काम किया है। अपने समृद्ध अनुभव और ज्ञान से उन्होंने बड़े कारपोरेट और तुलन पत्र प्रबंधन विभागों में अमित सेवा दी है। इलाहाबाद बैंक में श्री गोयल ने अनेक महत्वपूर्ण विभागों में जिसमें बैंकिंग परिचालन, खासकर मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) के पद पर कार्य किया है। उन्होंने इलाहाबाद बैंक के मुंबई अंचल कार्यालय के प्रधान का भी कार्यभार निभाया है। श्री गोयल अपने सर्वोत्तम नेटवर्किंग कौशल के लिए भी जाने जाते हैं।

2.2.3 Brief Profile of the Directors

Shri Atul Kumar Goel

Managing Director & Chief Executive Officer

Born on December 26, 1964, Shri Atul Kumar Goel assumed the charge as Managing Director & Chief Executive Officer of UCO Bank on November 02, 2018. Prior to his elevation as MD & CEO of UCO Bank, he was Executive Director in Union Bank of India.

Shri Goel holds a Bachelor Degree with Honours in Commerce and member of Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). He is also a Certified Associate of Indian Institute of Banking and Finance (CAIIB).

As Executive Director in Union Bank of India, Shri Goel handled almost all key portfolios like Large Corporate, Risk Management; Financial Planning & Investor Relations apart from Support Service, Business Process Transformation, Compliance etc. Through his rich knowledge and experience, his contribution especially to Large Corporate and Balance sheet Management department is immeasurable. During his stint at Allahabad Bank, Shri Goel handled key areas covering vast spectrum of Banking operations, most importantly as Chief Financial Officer (CFO). He also headed the Mumbai Zone of Allahabad Bank. Mr. Goel is also known for his high networking skills.

श्री गोयल ने आइबीए की करधान समिति के सदस्य रहने के अलावा प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों जिसमें एनआईबीएम, पुणे, आईएमटी, दिल्ली शामिल है, के द्वारा आयोजित अनेक कार्यक्रमों में भाग लिया है। उन्होंने काफराल के द्वारा देश और विदेश में आयोजित अनेक कार्यक्रमों में भी भाग लिया है।

श्री अजय व्यास, कार्यपालक निदेशक

15 अगस्त, 1962 को जन्मे श्री अजय व्यास एक अनुभवी और तकनीक-प्रिय बैंकर हैं।

श्री अजय व्यास ने 3 अप्रैल, 2019 को यूको बैंक के कार्यपालक निदेशक का पदभार ग्रहण किया। इससे पहले श्री व्यास सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भोपाल में क्षेत्रीय महाप्रबंधक थे।

श्री व्यास सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक उपाधि धारक हैं तथा उन्हें वाणिज्य बैंकिंग, वित्तीय समावेशन, सामान्य प्रशासन, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान, डेबिट और क्रेडिट कार्ड, अधिग्रहण सेवाओं और विपणन जैसे बैंकिंग के विभिन्न क्षेत्रों का वृहत अनुभव है। दिनांक 01.10.1993 को प्रबंधक (सिविल) के रूप में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कार्यग्रहण के साथ उनका बैंकिंग कैरियर शुरू हुआ।

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अपनी छब्बीस वर्षों की सेवा के दौरान, उन्होंने शाखाओं, क्षेत्रीय कार्यालयों और एफजीएम कार्यालयों में विभिन्न पदों पर कार्य किया। अपने बैंकिंग कैरियर के दौरान, उन्होंने बैंक के कई युवा कर्मचारियों की मेंटरिंग की है। उच्च शिक्षा और पेशेवर दौरे पर उन्होंने जापान, थाईलैंड, हॉलैंड, सिंगापुर, फ्रांस और मलेशिया जैसे देशों की व्यापक यात्रा की है।

वे बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, भोपाल के अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, मध्य प्रदेश के संयोजक और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित विभिन्न समितियों के सदस्य भी रहे हैं।

श्री इशराक अली खान, कार्यपालक निदेशक

श्री इशराक अली खान ने दिनांक 10 मार्च, 2021 को यूको बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। श्री खान, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मुख्य महाप्रबंधक और मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी (सीटीओ) थे। वे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पहले मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ) भी थे।

श्री खान विज्ञान में स्नातकोत्तर, सर्टिफाइड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम प्रोफेशनल (पीएमपी) तथा आईडीआरबीटी, हैदराबाद से सूचना प्रौद्योगिकी एवं साइबर सिक्योरिटी में सर्टिफिकेट प्राप्त हैं। वह इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकर्स के सर्टिफाइड एसोसिएट (सीएआईआईबी) भी हैं।

मुख्य महाप्रबंधक और सीटीओ के रूप में श्री खान ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रमुख समामेलन आईटी एकीकरण परियोजना को संभाला और नई तकनीकों को लाने और बैंक में ग्रीन डेटासेंटर स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अपनी 33 वर्षों की सेवा के दौरान उन्होंने विभिन्न क्षमताओं में क्षेत्र महाप्रबंधक और क्षेत्रीय प्रमुख के रूप में विभिन्न पदों पर क्षेत्रीय कार्यालय, अंचल कार्यालयों और क्षेत्र महाप्रबंधक कार्यालयों में कार्य किया। अपने बैंकिंग करियर के दौरान उन्होंने बैंक के कई युवा स्टाफ सदस्यों को मार्गदर्शित भी किया। श्री खान, मिलनसार कार्यपालक हैं और अपने उच्च टीम निर्माण नेतृत्व गुणों के लिए भी जाने जाते हैं।

श्री खान ने भारतीय बैंक संघ और इगन जेंडर इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के परामर्श से बैंक बोर्ड ब्यूरो द्वारा आयोजित आईआईएम, बंगलुरु के प्रतिष्ठित नेतृत्व कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने केलांग्स स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, शिकागो और आईएसबी, हैदराबाद से भी शिक्षा प्राप्त की है।

श्री आनंद मधुकर, सरकार के नामिती निदेशक

30 नवंबर, 1972 को जन्मे श्री आनंद मधुकर आईआरपीएस (भारतीय रेल कार्मिक सेवा) के 1997 बैच के अधिकारी हैं। अभी वे वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार में विशेष कार्य अधिकारी के रूप में

88

Shri Goel has attended prestigious training programme conducted by NIBM Pune, IMT Delhi apart from member of Taxation Committee in IBA. He has also undergone training programme held abroad conducted under aegis of CAFRAL.

Shri Ajay Vyas, Executive Director

Born on 15th August, 1962, Shri Ajay Vyas is a seasoned and tech-savvy banker.

Shri Ajay Vyas assumed the charge as the Executive Director of UCO Bank on 3rd April, 2019. Shri Vyas was Field General Manager in Central Bank of India, Bhopal.

Shri Vyas holds a Bachelor Degree in Civil Engineering and possesses varied experience in different areas of banking such as Commercial Banking, Financial Inclusion, General Administration, Electronic payments, Cards - Debit and Credit, Acquiring Services and Marketing. His career in Banking began when he joined Central Bank of India as Manager (Civil) on 01.10.1993.

During his twenty-six years of service at Central Bank of India, he held various positions in Branches, Zonal Offices and FGM Offices. During his banking career, he has mentored many young staff members of the Bank. He has travelled widely abroad in countries like Japan, Thailand, Holland, Singapore, France and Malaysia for advance studies and professional tours.

He has also held the post of Chairman of Banks' Town Official Language Implementation Committee, Bhopal, Convenor of State Level Bankers' Committee, Madhya Pradesh and Member of different committees set up by Govt. of Madhya Pradesh.

Shri Ishraq Ali Khan, Executive Director

Shri Ishraq Ali Khan assumed the charge as Executive Director of UCO Bank on March 10, 2021. Shri Khan was Chief General Manager & Chief Technology Officer (CTO) in Union Bank of India. He was also first Chief Information Security Officer (CISO) in Union Bank of India.

Shri Khan holds a Master Degree in Science, Certified Project Management program professional (PMP), IT and Cyber security certification from IDRBT, Hyderabad. He is also a Certified Associate of Indian Institute of Bankers (CAIIB).

As Chief General Manager & CTO, Shri Khan handled the key amalgamation IT integration project of the Union Bank of India and instrumental in bringing new technologies and establishing green datacenter in the Bank. During his 33 years of service at Union Bank of India, he held various positions in Regional Office, Zonal Offices and FGM Offices on various capacities such as Field General Manager and Regional Head. During his banking career, he has mentored many young staff members of the Bank. Shri Khan, an easy to approach Executive is also known for his high team building leadership qualities.

Shri Khan has attended prestigious leadership programme of IIM Bengaluru, curated by the Banks Board Bureau in consultation with IBA and Egon Zehnder International Pvt. Ltd. He has also attended Kellogs School of Management, Chicago and ISB, Hyderabad.

Shri Anand Madhukar, Govt. Nominee Director

Born on November 30, 1972, Shri Anand Madhukar is an IRPS (Indian Railway Personnel Service) Officer of 1997 Batch. At present, he is posted as Officer on Special Duty in Department

पदस्थापित हैं। बैंक के निदेशक मंडल में सरकार के नामिती निदेशक के रूप में उन्होंने 4 दिसंबर 2018 को कार्यभार संभाला। श्री मधुकर ने हंसराज कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है। उन्होंने यूसीएलए, बर्कले से नीति तथा अभिशासन में एक अत्यावधिक पाठ्यक्रम भी किया है तथा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से नेगोशिएशन कौशल का पाठ्यक्रम भी किया है।

श्री आनंद मधुकर को विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर काम करने का लगभग 21 वर्षों का सुदीर्घ अनुभव है। इनमें कुछ इस प्रकार हैं:

1. वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी, दक्षिण पूर्व रेलवे, चक्रधरपुर डिवीजन। प्रायः 22000 कर्मचारियों के मानव संसाधन विभाग के प्रधान का दायित्व निभाया है।
2. रेलवे भर्ती सेल, दक्षिण पूर्व रेलवे के अध्यक्ष के रूप में समूह डी के लिए प्रायः 8 लाख आवेदकों से में करीब 2500 भर्तियों की हैं।
3. कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय में निदेशक (एसीसी) के रूप में उन्होंने सीपीएसई, पीएसबी, स्वशासी निकायों, ट्रिब्यूनलों आदि में वरिष्ठ नियुक्तियों सम्पादित की हैं। इस क्रम में उन्हें मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति का अनुमोदन प्राप्त करने तथा भारत सरकार की मानव संसाधन नीतियों को विहंगम दृष्टि से देखने का अवसर मिला है। उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन के लिए उन्हें वर्ष 2008-09 का रेल मंत्री अवार्ड भी प्राप्त हुआ है।
4. वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार में विशेष ड्यूटी में अधिकारी के रूप में पदस्थापित थे।

डॉ. तुली रॉय, आरबीआई नामिती निदेशक

डॉ. (श्रीमती) तुली रॉय ने 1989 में भारतीय रिजर्व बैंक, कोलकाता में एक अधिकारी के रूप में कार्यग्रहण किया। इसके बाद उन्होंने कोलकाता, नई दिल्ली, केंद्रीय कार्यालय मुंबई और वर्तमान में कानपुर में विभिन्न पद क्षमताओं में काम किया। उन्हें बैंकिंग, गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण और विनियमन तथा विदेशी मुद्रा के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने का समृद्ध अनुभव है। विदेशी मुद्रा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई में उन्होंने बेहतर नीति निर्माण के लिए फेमा विनियमों को ओवरहॉलिंग और सुव्यवस्थित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गैर-बैंकिंग विनियमन विभाग, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई में वह विभिन्न मुद्दों पर नीति नोटों में सक्रिय रूप से शामिल थीं। मार्च, 2013 में काठमांडू में आयोजित सार्क क्षेत्र में माइक्रोफाइनेंस संस्थानों के विनियमन और पर्यवेक्षण पर सार्क वित्त संगोष्ठी में उन्होंने एक विशेषज्ञ के रूप में आरबीआई का प्रतिनिधित्व किया। कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय में वह गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग में कार्यरत थीं। मुख्य महाप्रबंधक के रूप में पदोन्नति पर वह उत्तर प्रदेश राज्य में क्षेत्रीय निदेशक की क्षमता में आरबीआई, कानपुर में तैनात थीं। डॉ. तुली रॉय आईआईटी, नई दिल्ली से अर्थशास्त्र में पीएचडी हैं। उन्होंने मनी मार्केट्स पर एक पेपर प्रकाशित किया है। उन्होंने सीएआईआईबी किया है। इसके अलावा, वह भारत और विदेशों में कई उन्नत स्तर के प्रबंधन और कार्यात्मक कार्यक्रमों में भाग ले चुकी हैं। उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों जैसे आईआईटी खडगपुर, एमडीआई गुडगांव के साथ-साथ चेन्नई और पुणे के विभिन्न प्रशिक्षण कॉलेजों में कई वार्ताएं और व्याख्यान दिया है।

श्री के राजीवन नायर, शेरधारक श्रेणी के अंतर्गत निदेशक

1 सितंबर 1961 को जन्मे श्री के राजीवन नायर सम्प्रति भारतीय जीवन बीमा निगम में कार्यरत हैं तथा निगम के मुख्य जीवन बीमा परामर्शी विभाग, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई में कार्यपालक निदेशक हैं। यूको बैंक के निदेशक मंडल में उन्होंने 2 दिसंबर, 2017 को शेर धारकों के निदेशक के रूप में योगदान दिया। उन्हें विपणन, वित्त, विधि तथा मानव संसाधन के क्षेत्र में काम करने का व्यापक अनुभव है।

of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India. He has joined Bank's Board as Government Nominee Director w.e.f December 04, 2018. Shri Madhukar holds a Masters Degree in History from Hansraj College, Delhi University. He has also pursued short term courses on Ethics and Governance from UCLA, Berkeley and on Negotiation Strategies from London School of Economics.

Mr Anand Madhukar has experience of around 21 years and has held several significant positions which include :

1. Senior Divisional Personnel Officer of Chakradharpur Division of South Eastern Railway heading HR functions for approximately 22,000 employees.
2. As Chairman of Railway Recruitment Cell of South Eastern Railway handled Group D recruitment for app. 2500 vacancies having 8 lakhs applicants.
3. As Director (ACC) in DOPT handled senior appointments in CPSEs, PSBs, Autonomous Bodies, Tribunals etc. requiring approval of the Appointments Committee of the Cabinet, getting a bird's-eye view of the HR policies of the Govt. of India in the process. He was awarded with Minister of Railways Award for outstanding performance for the year 2008-09.
4. He was posted as Officer on Special Duty in Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India.

Dr. Tuli Roy , RBI Nominee Director

Dr. (Smt.) Tuli Roy joined Reserve Bank of India as a trainee on Nov. 14, 1988 and was posted as an officer at RBI Kolkata in 1989. Thereafter, she worked at Kolkata, New Delhi, Central Office Mumbai and presently in Kanpur in different capacities. She has rich experience in areas dealing with Banking, Non-Banking Supervision and Regulation and Foreign Exchange, among others. In Foreign Exchange Department, Central Office, Mumbai, she has played an instrumental role in overhauling and streamlining FEMA Regulations for better policy making. In Department of Non-Banking Regulation, Central office, Mumbai, she was actively involved in policy notes on various issues. She represented RBI as a resource person in the SAARC FINANCE Seminar on regulation and supervision of Microfinance institutions in SAARC Region held in March 2013 in Kathmandu. In Kolkata Regional Office, she was instrumental in the working of Department of Non-Banking Supervision. On her promotion as, Chief General Manager she was posted at RBI, Kanpur in the capacity of Regional Director for the State of Uttar Pradesh. Dr. Tuli Roy holds a Ph.D. degree in Economics from IIT New Delhi. She has published a paper on Money Markets. She has completed CAIIB. Besides, she has attended numerous advanced level Management and Functional Programmes in India and abroad. She has delivered many talks and lectures at esteemed universities like IIT Kharagpur, MDI Gurgaon as well as training colleges in Chennai and Pune on various issues.

Shri K Rajivan Nair, Director under Shareholder Category

Born on 1st September 1961, Shri K Rajivan Nair is presently working with Life Insurance Corporation of India and is currently holding the post of Executive Director in Chief Life Insurance Advisor Department, Central Office, Mumbai. He joined the Board of UCO bank on 2nd December 2017 as Shareholder Director and has vast experience in the areas of Marketing, Finance, Law, Human Resource.

2.2.4. निदेशक मंडल की विशेषज्ञता / Expertise of the Board of Directors

क्र. सं. SI No	निदेशक के नाम एवं पदनाम Name & Designation of Director	विशेषज्ञता Expertise
1.	श्री अतुल कुमार गोयल, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Shri Atul Kumar Goel, Managing Director & CEO	लेखाशास्त्र एवं बैंकिंग Accountancy and Banking
2.	श्री अजय व्यास, कार्यपालक निदेशक Shri Ajay Vyas, Executive Director	बैंकिंग Banking
3.	श्री इशराक अली खान, कार्यपालक निदेशक Shri Ishraq Ali Khan, Executive Director	बैंकिंग और सूचना प्रौद्योगिकी Banking and Information Technology
4.	श्री आनंद मधुकर, सरकार के नामिती निदेशक Shri Anand Madhukar, Govt. Nominee Director	प्रशासन Administration
4.	डॉ. तुली रॉय, भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती निदेशक Dr. Tuli Roy, RBI Nominee Director	बैंकिंग Banking
6.	श्री के राजीवन नायर, शेयरधारक श्रेणी के अंतर्गत निदेशक Shri K Rajivan Nair, Director under Shareholder Category	बैंकिंग एवं विपणन Banking and Marketing

2.3 निदेशक मंडल की बैठकों की तारीख

समीक्षाधीन अवधि के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध उपबंध) योजना 1970 के खंड 12 के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम 6 (छह) बैठकों तथा सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 में निर्धारित न्यूनतम 4 (चार) बैठकों की तुलना में निम्नलिखित तारीखों को निदेशक मंडल की 14 (चौदह) बैठकें आयोजित की गई :

02.05.2020	26.06.2020	30.06.2020	31.07.2020	25.08.2020	30.09.2020	22.10.2020
20.11.2020	15.12.2020	26.12.2020	25.01.2021	01.02.2021	20.02.2021	26.03.2021

3. निदेशक मंडल की समितियां:

भारतीय रिज़र्व बैंक/भारत सरकार द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों/निदेशों के अनुसरण में बैंक में निदेशक मंडल की विभिन्न समितियों का गठन किया गया है जिसका उद्देश्य निर्णय प्रक्रिया को सुचारु और कारगर बनाना, समितियों के विचारार्थ विषयों के अंतर्गत आनेवाले विभिन्न कार्यकलापों की प्रभावी निगरानी एवं अनुवर्ती कार्रवाई करना है। निदेशक मंडल की विभिन्न स्थायी समितियों के विवरण नीचे दर्शाए गए हैं:

3.1 निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) :

भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशानुसार हमारे बैंक ने निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति का गठन किया है जिसमें स्टॉक एक्सचेंजों के साथ निष्पादित सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 में निर्धारित न्यूनतम 3 (तीन) निदेशकों की जगह 5 (पांच) निदेशक हैं। समिति के सभी निदेशक वित्तीय रूप से शिक्षित हैं।

3.1.1 एसीबी एक सशक्त प्रबंधकीय व्यवस्था के रूप में लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण की प्रभाविता को सुनिश्चित करने और बढ़ाने हेतु बैंक की आंतरिक लेखापरीक्षा/निरीक्षण कार्य का सर्वेक्षण, समीक्षा करती है एवं निदेश देती है। आंतरिक लेखापरीक्षा के संबंध में समिति इन उद्देश्यों के अनुसार बैंक के आंतरिक निरीक्षण/लेखापरीक्षा संबंधी कार्य - उसकी प्रणाली, गुणवत्ता एवं प्रभाविता की समीक्षा करती है। जहां तक बाह्य लेखापरीक्षा का संबंध है, समिति लांग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट में उठाए गए सभी मुद्दों की समीक्षा करती है। इसके अतिरिक्त यह लेखापरीक्षा रिपोर्ट के मसौदे में लेखांकन नीतियों, रीतियों, अर्हताओं में परिवर्तन तथा लेखांकन मानक के अनुपालन के विशेष संदर्भ में समीक्षाकृत/लेखापरीक्षित लेखों को अंतिम रूप दिए जाने के पूर्व बाह्य लेखापरीक्षकों के साथ

2.3 Dates of Board Meetings:

During the period under review, 14 (fourteen) meetings of the Board were held on following dates, as against a minimum of 6 (six) prescribed under Clause 12 of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970 and minimum of 04 (four) meetings stipulated under SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations 2015:

3 Committees of the Board:

Pursuant to the instructions/guidelines/directives issued by the Reserve Bank of India/Government of India, various committees of the Board have been constituted with the objective of streamlining the decision making process, effective monitoring and follow up of various activities falling within the terms of references of such committees. Details of the various committees of the Board are as under:

3.1 Audit Committee of the Board (ACB):

As per directives of RBI, the Bank constituted the Audit Committee of the Board (ACB) with 5 (five) directors as against minimum of 3 (three) directors stipulated under SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. All the Directors on the Committee are financial literates.

3.1.1 The ACB oversees, reviews and provides directions to the internal audit/ inspection function in the Bank in order to ensure and enhance the effectiveness of the audit and inspection function as a strong management tool. In respect of internal audit, the Committee reviews the internal inspection/ audit function of the Bank - the system, its quality and effectiveness in terms of the objectives. As regards external audit, the committee reviews all the issues raised in the Long Form Audit Report. Besides, it interacts with the external auditors before finalization of reviewed/ audited accounts with special reference to change in accounting policies, practices,

विचार-विमर्श करती है। इसके साथ ही यह भारतीय रिजर्व बैंक की निरीक्षण रिपोर्टों में उठाए गए सभी मुद्दों/समस्याओं के संबंध में भी कार्रवाई करती है। यह समिति आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, आंतरिक लेखा-कार्य, समाधान, कपट एवं अन्य संबंधित विषयों की भी समीक्षा करती है।

3.1.2 वर्तमान में निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति में श्री अजय व्यास, कार्यपालक निदेशक, श्री आनंद मधुकर, सरकार के नामित निदेशक एवं डॉ. तुली रॉय, आरबीआई की नामित निदेशक इसके सदस्य के रूप में शामिल हैं। निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में श्री इशराक अली खान, कार्यपालक निदेशक आमंत्रित हैं। समीक्षाधीन अवधि के दौरान सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 18 में निर्धारित 4 (चार) बैठकों की तुलना में निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति की 7 (सात) बैठकें आयोजित की गईं।

3.1.3 समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति की 7 बैठकें निम्नलिखित तारीखों को आयोजित की गईं:

26.06.2020	30.06.2020	31.07.2020	09.10.2020	22.10.2020
22.12.2020	25.01.2021			

3.2 निदेशक मंडल की प्रबंध समिति (एमसीबी):

समिति का गठन राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और विविध उपबंध) योजना 1970 के उपबंधों के अनुसार किया गया है। इसके सदस्य हैं: प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशकगण, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (ग) में निर्दिष्ट निदेशक तथा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) के खंड (ड), (च), (ज) एवं (झ) में निर्दिष्ट निदेशकों में से निदेशक मंडल द्वारा नामित तीन निदेशक। निदेशक मंडल द्वारा नामित निदेशक एक बार में एक वर्ष से अधिक समय तक पद पर नहीं रहेंगे। प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी एमसीबी के अध्यक्ष हैं।

3.2.1 समिति का उद्देश्य निम्नलिखित पर विचार करना और उन्हें अनुमोदित करना है :

- अधिक राशि के उधार/ऋण, समझौता और बड़े खाते डालने के प्रस्ताव,
- पूंजीगत और राजस्व व्यय हेतु तथा परिसर के अधिग्रहण और किराए पर लेने से संबंधित बड़ी राशि के प्रस्ताव, जिसमें परिसर के अधिग्रहण/किराए पर लेने के मानदंडों से विचलन भी शामिल है,
- कंपनियों के शेयरों/डिबेंचरों में निवेश सहित सरकारी तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में अधिक राशि का निवेश करने के प्रस्ताव और हामीदारी, दान देने संबंधी अधिक राशि के प्रस्ताव और
- समय-समय पर इस समिति के पास भेजे गए इसी प्रकार के कोई अन्य मामले।

3.2.2 वर्तमान में निदेशक मंडल की प्रबंध समिति में अध्यक्ष के रूप में श्री ए के गोयल, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्री अजय व्यास, कार्यपालक निदेशक, श्री इशराक अली खान, कार्यपालक निदेशक, डॉ. तुली रॉय, आरबीआई की नामित निदेशक एवं श्री के. राजीवन नायर, शेयरधारक श्रेणी के अंतर्गत नियुक्त निदेशक इसके सदस्य के रूप में शामिल हैं।

3.2.3 समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की प्रबंध समिति की 12 (बारह) बैठकें निम्नलिखित तारीखों को आयोजित की गईं :

qualifications in the draft audit report and compliance with the accounting standards. It also addresses all issues/concerns raised in inspection report of RBI. Besides, the committee also reviews the internal control system, the areas of housekeeping, reconciliation, fraud and other related matters.

3.1.2 The ACB, at present, comprises Shri Ajay Vyas, Executive Director, Shri Anand Madhukar, Govt. Nominee Director and Dr. Tuli Roy, RBI Nominee Director as its members. Shri Ishraq Ali Khan, Executive Director is the invitee to the meetings of ACB. During the period under review, 7 (seven) meetings of the ACB were held as against a minimum of 4 (four) meetings in a year stipulated in Regulation 18 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations 2015.

3.1.3 During the period under review, 7 (seven) meetings of the ACB were held on following dates:

26.06.2020	30.06.2020	31.07.2020	09.10.2020	22.10.2020
22.12.2020	25.01.2021			

3.2 Management Committee of the Board (MCB):

The Management Committee of the Board (MCB) is constituted as per provisions of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970. Its members are the Managing Director & Chief Executive Officer, Executive Directors, directors referred in section 9(3)(c) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970 and three directors nominated by the Board from amongst the directors referred to in section 9(3)(e), 9(3)(f), 9(3)(h) and 9(3)(i) of the Banking companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970. The Directors nominated by the Board shall hold office for not more than one year at a time. The Managing Director & Chief Executive Officer acts as the Chairman of the MCB.

3.2.1 The objectives of the MCB are to consider and approve -

- High value credit/loan, compromise and write-off proposals,
- High value proposals for capital and revenue expenditure and those relating to acquisition and hiring of premises including deviation from prescribed norms for acquisition/hiring of premises,
- Proposal for high value investments in Govt. and other approved securities including investment in shares/debentures of companies as well as high value proposals of underwriting, making donations and
- Any other matter of similar nature referred to it from time to time.

3.2.2 The MCB, at present, comprises Shri A K Goel, Managing Director & Chief Executive Officer as its Chairman, Shri Ajay Vyas, Executive Director, Shri Ishraq Ali Khan, Executive Director, Dr Tuli Roy, RBI Nominee Director and Shri K. Rajivan Nair, Director appointed under shareholder category as its members

3.2.3 During the period under review, 12 (twelve) meetings of the MCB were held on the dates as follows:

18.04.2020	18.05.2020	23.06.2020	13.07.2020	13.08.2020	16.09.2020
19.10.2020	12.11.2020	01.12.2020	09.02.2021	09.03.2021	19.03.02021

3.3 निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंध समिति :

3.3.1 निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंध समिति (आरएमसीबी) बैंक के कारोबार में आनेवाली विभिन्न प्रकार की जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन, निगरानी करती है तथा बैंक को संबंधित दिशानिर्देश देती है और आवधिक समीक्षा एवं निगरानी के आधार पर ऐसी कार्यनीतियां बनाती है जिनसे बैंक के राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय कारोबार के परिचालन में स्थायित्व और दक्षता सुनिश्चित हो। यह बैंक में आरिस्ट देयता प्रबंध (एएलएम) प्रणाली के क्रियाकलाप का पर्यवेक्षण एवं निगरानी भी करती है।

3.3.2 वर्तमान में निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंध समिति में अध्यक्ष के रूप में श्री ए के गोयल, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्री अजय व्यास, कार्यपालक निदेशक, श्री इशराक अली खान, कार्यपालक निदेशक एवं श्री के. राजीवन नायर, शेयरधारक श्रेणी के अंतर्गत नियुक्त निदेशक इसके सदस्य के रूप में शामिल हैं।

3.3.3 समीक्षाधीन अवधि के दौरान आरएमसीबी की 4 (चार) बैठकें इन तारीखों को आयोजित की गईं :

30.06.2020	25.08.2020	20.11.2020	26.03.2021
------------	------------	------------	------------

3.4.0 निदेशक मंडल की हितधारक संबंध समिति :

3.4.1 शेयरधारकों/अन्य प्रतिभूतिधारकों की शिकायतों यथा- धन वापसी आदेश, शेयर प्रमाणपत्र, लाभांश वारंट आदि प्राप्त न होने के संबंध में फिकायतकर्ता की तृप्ति के अनुरूप शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियम 20 के अनुसार इस समिति का गठन किया गया है।

3.4.2 श्री के राजीवन नायर, शेयरधारक श्रेणी के अंतर्गत निदेशक इस समिति के अध्यक्ष हैं। श्री अजय व्यास, कार्यपालक निदेशक तथा श्री इशराक अली खान, कार्यपालक निदेशक समिति के अन्य सदस्य हैं।

3.4.3 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बोर्ड की पूर्ववर्ती पारिश्रमिक समिति की 2 (दो) बैठकें दिनांक 25.08.2020 एवं 26.03.2021 को आयोजित की गईं।

3.4.4 श्री एन पूर्ण चन्द्र राव, कंपनी सचिव, सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियम 6(1) के अनुसार अनुपालन अधिकारी हैं।

3.4.5 वित्तीय वर्ष के दौरान शेयरधारकों से प्राप्त शिकायतों की स्थिति

- वित्तीय वर्ष के दौरान शेयरधारकों से प्राप्त शिकायतें- 2030
- शेयरधारकों की संतुष्टि के अनुसार समाधान नहीं हुए शिकायतों की संख्या- शून्य
- वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक लंबित शिकायतों की संख्या- शून्य

3.5 निदेशक मंडल की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसीबी)

3.5.1 समिति बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा करती है और निदेशक के रूप में निर्वाचित होने या चुने जाने वाले व्यक्तियों की "उचित एवं सही स्थिति" का निर्धारण करती है।

3.5.2 भारत सरकार के परिपत्र के दिशानिर्देशों के अनुसार समिति में बोर्ड के गैर-कार्यकारी निदेशक शामिल होंगे।

3.5.3 श्री आनंद मधुकर, सरकार के नामित निदेशक और श्री के राजीवन नायर, शेयरधारक श्रेणी के अंतर्गत निदेशक वर्तमान में इस समिति में शामिल हैं।

3.5.4 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बोर्ड की पूर्ववर्ती पारिश्रमिक समिति की 1 (एक) बैठकें दिनांक 09.10.2020 को आयोजित की गईं।

3.3 Risk Management Committee of the Board:

3.3.1 The Risk Management Committee of the Board (RMCB) identifies, evaluates, monitors and guides the Bank on various categories of risks to which the Bank's business is exposed and devises, based on periodical review and monitoring, such strategies as would ensure stability and efficiency of the domestic and International business operations of the Bank. It also supervises and monitors the functioning of the Asset Liability Management (ALM) System in the Bank.

3.3.2 The RMCB, at present, comprises of Shri AK Goel, Managing Director & Chief Executive Officer as its Chairman, Shri Ajay Vyas, Executive Director, Shri Ishraq Ali Khan, Executive Director and Shri K Rajivan Nair, Director under Shareholder Category as its members.

3.3.3 During the period under review, 4 (four) meetings of the RMCB were held on the dates as follows:

30.06.2020	25.08.2020	20.11.2020	26.03.2021
------------	------------	------------	------------

3.4. Stake Holders' Relationship Committee of the Board:

3.4.1 The Committee is constituted in terms of regulation 20 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 for speedy redressal of complaints/grievances of shareholders/other security holders like non-receipt of refund orders, share certificates, dividend warrants etc., to the satisfaction of the complainants.

3.4.2 The Committee is chaired by Shri K Rajivan Nair, Director under Shareholder Category. Other members of the committee are Shri Ajay Vyas, Executive Director and Shri Ishraq Ali Khan, Executive Director.

3.4.3 During the period under review, 2 (two) meetings of the Committee was held on 25.08.2020 and 26.03.2021. All the complaints received during the period under review were redressed.

3.4.4 Shri N Purna Chandra Rao, Company Secretary, is the compliance officer in terms of Regulation 6(1) of SEBI (LODR) Regulations, 2015.

3.4.5 Status of shareholders' complaints received during the financial year:

- No. of shareholders' complaints received during the financial year - 2030
- No. of shareholders' complaints not solved to the satisfaction of shareholders - Nil
- No. of pending complaints at the end of the financial year - Nil

3.5 Nomination and Remuneration Committee of the Board (NRCB):

3.5.1 The Committee evaluates performance of Bank's Whole-time Directors and determines "Fit & Proper status" of elected or to be elected Director.

3.5.2 As per Government of India guidelines, the Committee shall comprise of non-executive Directors of the Board.

3.5.3 The Committee, at present, comprises Shri Anand Madhukar, Government Nominee Director and Shri K. Rajivan Nair, Director under Shareholder category.

3.5.4 During the period under review, 1(one) meeting of the Committee was held on 09.10.2020.

3.6 बड़ी राशि के कपटों की निगरानी हेतु निदेशक मंडल की विशेष समिति :

3.6.1 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन में बड़ी राशि के कपटों की निगरानी हेतु विशेष समिति का गठन किया गया है जिसका उद्देश्य ₹1 करोड़ एवं उससे अधिक की राशि के कपटों की निगरानी एवं उन पर अनुवर्ती कार्रवाई करना है। बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी इस समिति के अध्यक्ष हैं।

3.6.2 वर्तमान में इस समिति के अध्यक्ष के रूप में श्री ए के गोयल, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्री अजय व्यास, कार्यपालक निदेशक, श्री इशराक अली खान, कार्यपालक निदेशक, श्री आनंद मधुकर, सरकार के नामित निदेशक एवं श्री के. राजीवन नायर, शेयरधारक श्रेणी के अंतर्गत नियुक्त निदेशक इसके सदस्य के रूप में शामिल हैं।

3.6.3 समीक्षाधीन अवधि के दौरान इस समिति की 7 (सात) बैठकें निम्नलिखित तारीखों को आयोजित की गईं:

02.05.2020	30.06.2020	25.08.2020	30.09.2020	20.11.2020	22.12.2020	26.03.2021
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

3.7 निदेशक मंडल की ग्राहक सेवा समिति (सीएससीबी)

3.7.1 निदेशक मंडल की ग्राहक सेवा समिति का गठन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन में किया गया है।

3.7.2 समिति का उद्देश्य:

- जनसेवा प्रक्रिया एवं कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा समिति की संस्तुतियों का कार्यान्वयन एवं पालन, साथ ही उसकी संस्तुतियों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु,
- सदैव सभी श्रेणी के ग्राहकों के लिए ग्राहक-तुष्टि के स्तर में सुधार लाने हेतु,
- ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए नवीन उपायों पर विचार करने हेतु।

3.7.3 वर्तमान में इस समिति के अध्यक्ष के रूप में श्री ए के गोयल, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्री अजय व्यास, कार्यपालक निदेशक, श्री इशराक अली खान, कार्यपालक निदेशक, श्री आनंद मधुकर, सरकार के नामित निदेशक एवं श्री के. राजीवन नायर, शेयरधारक श्रेणी के अंतर्गत नियुक्त निदेशक इसके सदस्य के रूप में शामिल हैं।

3.7.4 समीक्षाधीन अवधि के दौरान इस समिति की 5 (पाच) बैठकें इन तारीखों को हुईं:

02.05.2020	25.08.2020	09.10.2020	22.12.2020	26.03.2021
------------	------------	------------	------------	------------

3.8 बैंक के मानव संसाधन संबंधी मुद्दों से संबंधित समिति (निदेशक मंडल की मानव संसाधन समिति)

सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के लिए प्रबंधकीय स्वायत्तता संबंधी भारत सरकार के निदेशों के आलोक में बैंक के निदेशक मंडल को यह स्वतंत्रता दी गई है एवं उत्तरदायित्व सौंपा गया है कि वह सरकारी नीतियों के व्यापक ढांचे के भीतर प्रबंधकीय मुद्दों पर निर्णय ले। स्वायत्तता से संबंधित एक क्षेत्र का संबंध मानव संसाधन से संबंधित नीति एवं क्रियाविधि के निर्माण से है।

3.8.1 वर्तमान में इस समिति के अध्यक्ष के रूप में श्री ए के गोयल, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्री अजय व्यास, कार्यपालक निदेशक, श्री इशराक अली खान, कार्यपालक निदेशक, श्री आनंद मधुकर, सरकार के नामित निदेशक एवं श्री के. राजीवन नायर, शेयरधारक श्रेणी के अंतर्गत नियुक्त निदेशक इसके सदस्य के रूप में शामिल हैं।

3.8.2 समिति का उद्देश्य :

- स्टाफ ढांचा, भर्ती, पदस्थापना, स्थानांतरण, प्रशिक्षण, पदोन्नति, पेंशन आदि सहित बैंक से संबंधित मानव संसाधन संबंधी सभी मुद्दों के बारे में निर्णय करना,

3.6 Special Committee of the Board for Monitoring of Large Value Frauds:

3.6.1 In compliance with the guidelines issued by Reserve Bank of India, Special Committee for Monitoring Large Value Frauds has been constituted with the objective of monitoring and following up frauds involving ₹1.00 crore and above. The Managing Director & Chief Executive Officer of the Bank acts as the Chairman of the Committee.

3.6.2 At present, the Committee comprises of Shri A K Goel, Managing Director & Chief Executive Officer as its Chairman, Shri Ajay Vyas, Executive Director, Shri Ishraq Ali Khan, Executive Director, Sri Anand Madhukar, Govt. Nominee Director and Shri K. Rajivan Nair, Director under shareholder category as its members.

3.6.3 During the period under review, 7 (seven) meetings of the Committee were held on the dates as follows:

3.7 Customer Service Committee of the Board (CSCB):

3.7.1 In compliance with the directives issued by Reserve Bank of India, the Customer Service Committee of the Board has been constituted.

3.7.2 Objectives of the Committee:

- To ensure implementation of and adherence to the recommendations of Committee on Procedures and Performance Audit of Public Services as well as compliance with its recommendations;
- To bring upon improvement in the level of customer satisfaction for all categories of clientele at all times;
- To consider innovative measures to enhance the quality of customer service.

3.7.3 At present, the Committee comprises Shri A K Goel, Managing Director & Chief Executive Officer as its Chairman, Shri Ajay Vyas, Executive Director, Shri Ishraq Ali Khan, Executive Director, Sri Anand Madhukar, Govt. Nominee Director and Shri K. Rajivan Nair, Director under shareholder category as its members.

3.7.4 During the period under review, 5 (five) meetings of the Committee were held on the dates as follows:

02.05.2020	25.08.2020	09.10.2020	22.12.2020	26.03.2021
------------	------------	------------	------------	------------

3.8 Committee on HR Related Issues of the Bank (HR Committee of the Board):

In the light of directive of Govt. of India on Managerial Autonomy to the Public Sector Banks (PSB), the Board of Directors of the Bank is granted the freedom and responsibility for deciding on managerial issues within the broad framework of the Government policies. One of the areas of autonomy relates to framing of HR policies and procedures.

3.8.1 At present, the Committee comprises of Shri Atul Kumar Goel, Managing Director & Chief Executive Officer as its Chairman, Shri Ajay Vyas, Executive Director, Shri Ishraq Ali Khan, Executive Director, Shri Anand Madhukar, Govt. Nominee Director and Shri K Rajivan Nair, Shareholder Director as its members.

3.8.2 Objectives of the Committee:

- To decide all Human Resource issues relating to the Bank including staffing pattern, recruitment, placement, transfer, training, promotions, pensions, etc.,

- ii) पात्रता मानदंड, चयन की पद्धति, प्रवेश के स्तरों आदि सहित भर्ती के लिए मानव संसाधन संबंधी नीति एवं क्रियाविधि बनाना,
 - iii) अधिकारियों एवं स्टाफ के पारिश्रमिक एवं क्षतिपूर्ति के बारे में निर्णय लेना,
 - iv) बैंक के पदधारियों की जवाबदेही और जिम्मेदारी से संबंधित नीति निर्धारित करना एवं
 - v) शाखाओं के वर्गीकरण के लिए मानदंड विहित करना।
- उपर्युक्त मामले सीधे बोर्ड से संबंधित हैं और इसलिए समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई।

3.8.3 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समिति की 4 (चार) बैठकें निम्नलिखित तारीखों को आयोजित हुईं:

30.06.2020	30.09.2020	22.12.2020	26.03.2021
------------	------------	------------	------------

3.9 निदेशक मंडल की सू.प्रौ. कार्यनीति समिति

3.9.1 प्रौद्योगिकी उन्नयन एवं अन्य सूचना प्रौद्योगिकी पहल से संबंधित मामलों पर कार्यनीति बनाने हेतु निदेशक मंडल की सू.प्रौ. कार्यनीति समिति का गठन किया गया है।

3.9.2 वर्तमान में इस समिति में कार्यपालक निदेशक श्री अजय व्यास, श्री इशराक अली खान, कार्यपालक निदेशक, सरकार के नामित निदेशक श्री आनंद मधुकर एवं शेरधरक श्रेणी के अंतर्गत निदेशक श्री के. राजीवन नायर सदस्य के रूप में शामिल हैं।

3.9.3 समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति की 5 (पाच) बैठकें निम्नलिखित तारीखों को आयोजित की गईं:

02.05.2020	30.06.2020	25.08.2020	20.11.2020	20.02.2021
------------	------------	------------	------------	------------

3.10 एनपीए खातों में वसूली की निगरानी के लिए निदेशक मंडल स्तरीय समिति:

3.10.1 बैंक में एक सख्त निगरानी प्रणाली कराने के संबंध में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निदेशों के अनुपालन में दिनांक 07.12.2012 को एनपीए वसूली की निगरानी के लिए एक निदेशक मंडल स्तरीय समिति बनाई गई है, जो अनर्जक आस्तियों में वसूली की प्रगति पर लगातार निगरानी रखेगी।

3.10.2 वर्तमान में इस समिति के अध्यक्ष के रूप में श्री ए के गोयल, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्री अजय व्यास, कार्यपालक निदेशक, श्री इशराक अली खान, कार्यपालक निदेशक एवं श्री आनंद मधुकर, सरकार के नामित निदेशक इसके सदस्य के रूप में शामिल हैं।

3.10.3 समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति की 7 (सात) बैठकें निम्नलिखित तारीखों को आयोजित की गईं:

02.05.2020	30.06.2020	25.08.2020	30.09.2020	20.11.2020	22.12.2020	26.03.2021
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

3.11 अपील मामलों के निपटान के लिए निदेशक मंडल की समिति:

3.11.1 अनुशासनिक प्राधिकारी की क्षमता में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा जारी आदेशों के विरुद्ध कर्मचारियों द्वारा की गई अपीलों का निपटान करने के लिए अपील मामलों के निपटान के लिए समिति गठित की गई है।

3.11.2 वर्तमान में, इस समिति में श्री आनंद मधुकर, भारत सरकार के निदेशक, डॉ. तुली रॉय, आरबीआई के नामित निदेशक तथा श्री के राजीवन नायर, शेरधरक निदेशक शामिल हैं।

3.11.3 समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति की 3 (तीन) बैठकें 25.08.2020, 25.11.2020 एवं 22.12.2020 को आयोजित की गईं।

- ii) To frame HR policies and procedures for recruitment including eligibility criteria, mode of selection, levels of entry, etc.,
- iii) To take decisions on remuneration and compensation of officers and staff,
- iv) To lay down policy of accountability and responsibility of Bank officials, and
- v) To prescribe standards for categorization of branches.

The matters pertaining to aforesaid areas were taken up directly with the Board, and therefore no meeting of the Committee was held during the period under review.

3.8.3 During the period under review, 4 (four) meeting of the Committee was held on dates as follows:

30.06.2020	30.09.2020	22.12.2020	26.03.2021
------------	------------	------------	------------

3.9 IT Strategy Committee of the Board:

3.9.1 The IT Strategy Committee of the Board has been constituted to formulate strategies in the matters relating to technology upgradation and other IT initiatives.

3.9.2 At present, the Committee comprises Shri Ajay Vyas, Executive Director, Shri Ishraq Ali Khan, Executive Director, Shri Anand Madhukar, Government Nominee Director and Shri K. Rajivan Nair, Director under Shareholder category as its members.

3.9.3 During the period under review 05 (five) meetings of the committee were held on the dates as follows:

02.05.2020	30.06.2020	25.08.2020	20.11.2020	20.02.2021
------------	------------	------------	------------	------------

3.10 Board Level Committee for Monitoring Recovery in NPAs accounts:

3.10.1 In compliance with the directives of Ministry of Finance, Government of India, to have a robust monitoring mechanism in the Bank, a Board Level Committee for Monitoring of Recovery in NPAs has been constituted on 07.12.2012 to monitor progress in recovery of Non-Performing Assets on regular basis.

3.10.2 At present, the Committee comprises Shri Atul Kumar Goel, Managing Director and Chief Executive Officer as its Chairman, Shri Ajay Vyas, Executive Director, Shri Ishraq Ali Khan, Executive Director and Shri Anand Madhukar, Govt. Nominee Director as its members.

3.10.3 During the period under review, 7(seven) meetings of the committee were held on dates as follows:

3.11 Committee of the Board for disposal of Appeal Cases:

3.11.1 The Committee for disposal of Appeal Cases is constituted to dispose off appeals preferred by the employees against the orders issued by Managing Director & Chief Executive Officer in the capacity of Disciplinary Authority.

3.11.2 At present, the Committee comprises Shri Anand Madhukar, Govt. Nominee Director, Dr Tuli Roy, RBI Nominee Director and Shri K Rajivan Nair, Shareholder Director as its members.

3.11.3 During the period under review, 3(three) meetings of the Committee were held on the dates 25.08.2020, 25.11.2020 and 22.12.2020.

3.12 समीक्षा समिति (जान-बूझकर चूक करने वाले):

3.12.1 प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समीक्षा समिति (जान-बूझकर चूक करनेवाले) जान-बूझकर चूक करनेवाले की घोषणा करने हेतु जान-बूझकर चूक करनेवाले की पहचान करने के लिए कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में गठित समिति के आदेशों की पुष्टि करते हैं।

3.12.2 वर्तमान में इस समिति के अध्यक्ष के रूप में श्री अतुल कुमार गोयल, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं एवं अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के अंतर्गत निदेशक श्री के राजीवन नायर सदस्य के रूप में शामिल हैं।

3.12.3 समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति की 02 (दो) बैठकें क्रमशः 02.05.2020 एवं 30.09.2020 को आयोजित की गईं।

3.13 बोर्ड की कार्यनिष्पादन मूल्यांकन समिति

3.13.1 समिति का गठन भारत सरकार, एमओएफ, डीएफएस के दिशानिर्देश दिनांक 30.08.2019 के अनुसार किया गया है। समिति में सरकार द्वारा नामित निदेशक, एसीबी अध्यक्ष, शेयरधारक निदेशक शामिल हैं।

3.13.2 वर्तमान में, समिति में श्री आनंद मधुकर, सरकार के नामित निदेशक और श्री के राजीवन नायर, शेयरधारक श्रेणी के तहत निदेशक इसके सदस्य के रूप में शामिल हैं।

3.13.3 समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति की तीन बैठकें; दिनांक 30.06.2020, 15.07.2020 एवं 24.07.2020 को आयोजित की गईं।

3.14 गैर-पदोन्नति के विरुद्ध अपील के निपटान के लिए बोर्ड की समिति

3.14.1 वर्तमान में समिति के अध्यक्ष श्री अतुल कुमार गोयल, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं तथा श्री अजय व्यास, कार्यपालक निदेशक, श्री इशराक अली खान, कार्यपालक निदेशक और श्री के राजीवन नायर, शेयरधारक निदेशक इसके सदस्य हैं।

3.14.2 समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति की 1 (एक) बैठक दिनांक 30.06.2020 को आयोजित की गई।

3.15 बोर्ड स्तरीय ऋण अनुमोदन समिति

3.15.1 वर्तमान में समिति के अध्यक्ष श्री अतुल कुमार गोयल, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं तथा श्री अजय व्यास, कार्यपालक निदेशक, श्री इशराक अली खान, कार्यपालक निदेशक और श्री के राजीवन नायर, शेयरधारक निदेशक इसके सदस्य हैं।

3.15.2 समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति की 55 (पचपन) बैठकें आयोजित की गईं।

3.12 Review Committee (Willful Defaulters):

3.12.1 The Review Committee (Willful Defaulters) headed by the Managing Director & Chief Executive Officer, confirms the order of the ED-headed Committee for Identification of Willful Defaulters for declaration of willful defaulters.

3.12.2 At present, the Committee comprises Shri Atul Kumar Goel, Managing Director & Chief Executive Officer as its Chairman and Shri K Rajivan Nair, Director under Shareholder category as its members.

3.12.3 During the period under review, 02 (two) meetings of the Committee were held on the dates 02.05.2020 and 30.09.2020.

3.13 Performance Evaluation Committee of the Board

3.13.1 The committee is constituted in terms of GOI, MOF, DFS guideline dated 30.08.2019. The committee comprises of Government Nominee Director, ACB Chairperson, Shareholder Director.

3.13.2 At present, the Committee comprises Shri Anand Madhukar, Govt. Nominee Director and Shri K Rajivan Nair, Director under Shareholder category as its members.

3.13.3 During the period under review, 03 (three) meetings of the Committee were held on the dates 30.06.2020, 15.07.2020 and 24.07.2020.

3.14 Committee of the Board for Disposal of Appeal against Non-Promotion

3.14.1 At present, the committee comprises Shri Atul Kumar Goel, Managing Director and Chief Executive Officer as its Chairman, Shri Ajay Vyas, Executive Director, Shri Ishraq Ali Khan, Executive Director and Shri K Rajivan Nair, Shareholder Director as its members.

3.14.2 During the period under review, 1 (one) meeting of the Committee was held on 30.06.2020.

3.15 Board Level Credit Approval Committee

3.15.1 At present, the Committee comprises Shri Atul Kumar Goel, Managing Director and Chief Executive Officer as its Chairman, Shri Ajay Vyas, Executive Director, Shri Ishraq Ali Khan, Executive Director, Shri D K Mridha, General Manager-Risk Management, Shri Ram Kumar, General Manager- Credit and Finance as its members.

3.15.2 During the period under review, 55(Fifty Five) meetings of the Committee were held.

4 निदेशक मंडल और निदेशक मंडल की विभिन्न समितियों की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का ब्योरा :

4 The details of attendance of meetings of the Board by the directors and of various Committees of the Board are as under:

बैठक/ Meetings of the										
निदेशक का नाम Name of Director	निदेशक मंडल Board of Directors		निदेशक मंडल की प्रबंध समिति Management Committee of the Board		निदेशक मंडल की ग्राहक सेवा समिति Customer Service Committee of the Board		निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंध समिति Risk Management Committee of the Board		बैंक के मानव संसाधन संबंधी मामले (मानव संसाधन समिति) HR related issues of the Bank (HR Committee)	
	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended
श्री अतुल कुमार गोयल प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Shri Atul Kumar Goel MD & CEO	14	14	12	12	05	05	04	04	04	04
श्री अजय व्यास कार्यपालक निदेशक Shri Ajay Vyas Executive Director	14	14	12	12	05	05	04	04	04	04
श्री इशराक अली खान कार्यपालक निदेशक Shri Ishraq Ali Khan Executive Director	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
श्री आनंद मधुकर, निदेशक Shri Anand Madhukar Director	14	09	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	05	04	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	04	03
डॉ. अरविंद शर्मा, निदेशक Dr. Arvind Sharma Director	05	05	06	06	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
डॉ. तुली रॉय, निदेशक Dr. Tuli Roy Director	09	09	06	06	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
डॉ. आशीष साहा, निदेशक Dr. Asish Saha Director	10	10	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	03	03	03	03
श्री के. राजीवन नायर, निदेशक Shri K. Rajivan Nair Director	10	10	12	12	04	04	04	03	01	01

बैठक/Meetings of the										
निदेशक का नाम Name of Director	एनपीए खातों में वसूली की निगरानी के लिए निदेशक मंडल स्तरीय समिति Board Level Committee for monitoring of recovery in NPA Account		बड़ी राशि के कपटों की निगरानी हेतु निदेशक मंडल की विशेष समिति Special Committee of Board for Monitoring Large Value Frauds		निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति Audit Committee of the Board		निदेशक मंडल की सू.प्रौ. कार्यनीति समिति IT Strategy Committee of the Board		निदेशक मंडल की हितधारक संबंध समिति Stake Holders' Relationship Committee of the Board	
	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended
श्री अतुल कुमार गोयल प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Shri Atul Kumar Goel MD & CEO	07	07	07	07	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
श्री अजय व्यास कार्यपालक निदेशक Shri Ajay Vyas Executive Director	07	07	07	07	07	07	05	05	02	02
श्री इशराक अली खान कार्यपालक निदेशक Shri Ishraq Ali Khan Executive Director	01	01	01	01	00	00	00	00	01	01
श्री आनंद मधुकर, निदेशक Shri Anand Madhukar Director	07	05	07	05	07	07	05	03	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
डॉ. अरविंद शर्मा, निदेशक Dr. Arvind Sharma Director	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	03	03	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
डॉ. तुली रॉय, निदेशक Dr. Tuli Roy Director	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	04	04	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
श्री डॉ. आशीष साहा, निदेशक Dr. Asish Saha Director	06	06	06	06	06	06	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	01	01
श्री के. राजीवन नायर, निदेशक Shri K. Rajivan Nair Director	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	06	04	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	05	05	02	02

बैठक/Meetings of the										
निदेशक का नाम Name of Director	निदेशक मंडल की पारिश्रमिक समिति Performance Evaluation Committee of the Board		निदेशक मंडल की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति Nomination and Remunerations Committee of the Board		निदेशक मंडल की अपील मामलों की निपटान समिति Committee of the Board for Disposal of Appeal Cases		समीक्षा समिति (जान-बूझकर चूककर्ता) Review Committee (Wilful Defaulters)		Committee of the Board for Disposal of Appeal against Non-promotion	
	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended
श्री अतुल कुमार गोयल प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Shri Atul Kumar Goel MD & CEO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	02	02	01	01
श्री अजय व्यास कार्यपालक निदेशक Shri Ajay Vyas Executive Director	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	01	01
श्री इशराक अली खान कार्यपालक निदेशक Shri Ishraq Ali Khan Executive Director	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	00	00
श्री आनंद मधुकर, निदेशक Shri Anand Madhukar Director	03	03	01	01	03	03	NA	NA	NA	NA
डॉ. अरविंद शर्मा, निदेशक Dr. Arvind Sharma Director	NA	NA	NA	NA	01	01	NA	NA	NA	NA
डॉ. तुली रॉय, निदेशक Dr. Tuli Roy Director	NA	NA	NA	NA	02	02	NA	NA	NA	NA
श्री डॉ. आशीष साहा, निदेशक Dr. Asish Saha Director	03	03	01	01	03	03	02	02	NA	NA
श्री के. राजीवन नायर, निदेशक Shri K. Rajivan Nair Director	03	03	01	01	NA	NA	02	02	01	01

नोट/Notes:

- *निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या / No. of meetings held during the tenure of the Director during the review period
- लागू नहीं - समिति के सदस्य नहीं / NA - Not a member

5.0 आम बैठक / General Body Meeting

5.1 पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित शेयरधारकों की बैठक / Shareholders Meetings held during the last three years :

पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित शेयरधारकों की आम बैठकों के बारे में इस प्रकार हैं

The details of the General Meetings of the Shareholders held during the last 3 years :

बैठक का नाम Name of the meeting	तारीख एवं दिन Date and Day	समय Time	स्थान Venue
15वीं वार्षिक आम बैठक 15 th Annual General Meeting	27 जून, 2018 27 th June, 2018	सुबह 10.30 10.30 A.M.	मिनी ऑडिटोरियम, साइंस सिटी हॉल, जे.बी.एस. हॉल्डेन एवेन्यू, कोलकाता - 700 046 Mini Auditorium, Science City Hall, J.B.S Haldane Avenue, Kolkata - 700046
असाधारण आम बैठक Extraordinary General Meeting	20 फरवरी, 2019 20 th February, 2019	पूर्वाह्न 11.00 11.00 A.M.	भाषा भवन ऑडिटोरियम, नेशनल लाइब्रेरी, बेलवेडियर रोड, अलीपुर कोलकाता - 700 027 Bhasha Bhawan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata - 700027
असाधारण आम बैठक Extraordinary General Meeting	25 मार्च, 2019 25 th March, 2019	पूर्वाह्न 11.00 11.00 A.M.	भाषा भवन ऑडिटोरियम, नेशनल लाइब्रेरी, बेलवेडियर रोड, अलीपुर कोलकाता - 700 027 Bhasha Bhawan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata - 700027
16वीं वार्षिक आम बैठक 16 th Annual General Meeting	26 जून, 2019 26 th June, 2019	सुबह 10.30 10.30 A.M.	भाषा भवन ऑडिटोरियम, नेशनल लाइब्रेरी, बेलवेडियर रोड, अलीपुर कोलकाता - 700 027 Bhasha Bhawan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata - 700027
असाधारण आम बैठक Extraordinary General Meeting	6 नवंबर, 2019 6 th November, 2019	सुबह 10.30 10.30 A.M.	भाषा भवन ऑडिटोरियम, नेशनल लाइब्रेरी, बेलवेडियर रोड, अलीपुर कोलकाता - 700 027 Bhasha Bhawan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata - 700027
असाधारण आम बैठक Extraordinary General Meeting	14 फरवरी, 2020 14 th February, 2020	सुबह 10.30 10.30 A.M.	भाषा भवन ऑडिटोरियम, नेशनल लाइब्रेरी, बेलवेडियर रोड, अलीपुर कोलकाता - 700 027 Bhasha Bhawan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata - 700027
17वीं वार्षिक आम बैठक 17 th Annual General Meeting	7 अगस्त, 2020 7 th August, 2020	पूर्वाह्न 11.00 11.00 A.M.	वीडियो कॉन्फरेंस के माध्यम से यूको बैंक, प्रधान कार्यालय, 10 बीटीएम सरणी, कोलकाता- 700001 प्रस्तावित स्थल Through Video Conference Deemed Venue was UCO Bank Head Office, 10, BTM Sarani, Kolkata-700001

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (i) के अंतर्गत केंद्र सरकार के अतिरिक्त शेयरधारकों में से एक शेयरधारक के चुनाव के लिए दिनांक 19.10.2020 को शेयरधारकों को असाधारण आम बैठक की नोटिस जारी की गई। उक्त नोटिस के परिप्रेक्ष्य में बैंक को निदेशक चुनाव हेतु दो उम्मीदवारों से वैध नामांकन प्राप्त हुए। हालांकि, एक उम्मीदवार ने अपना नामांकन चुनाव होने से पूर्व वापस ले लिया। इस प्रकार चुनाव के लिए केवल एक ही वैध नामांकन श्री के. राजीवन नायर से था। अतः निदेशक चुनाव नहीं हुआ और यूको बैंक (शेयर एवं बैठक) विनियम, 2003 के विनियमन 66(1) के तहत श्री के राजीवन नायर को निदेशक के रूप में चुना हुआ माना गया। दिनांक 26 नवंबर, 2020 को निर्धारित असाधारण आम बैठक को निरस्त कर दिया गया क्योंकि उक्त बैठक में चर्चा के लिए और कोई एजेंडा नहीं था। आरबीआई की अधिसूचना दिनांक 02.08.2019 के अनुसार बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा ठीक एवं उचित स्थिति का निर्धारण करने के बाद श्री के राजीवन नायर को 01.02.2021 से तीन साल की अवधि के लिए निदेशक के रूप में चुना गया है।

5.2. पिछली वार्षिक आम बैठक में निदेशकों की उपस्थिति :

पिछली वार्षिक आम बैठक 7 अगस्त, 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) के माध्यम से आयोजित की गई थी। श्री ए. के. गोयल, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्री अजय व्यास, कार्यपालक निदेशक तथा श्री आशीष साहा, आंकात्मिक गैर-सरकारी निदेशक और बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष ने बैठक में भाग लिया।

5.3. पिछले तीन वर्षों के दौरान पारित विशेष संकल्प

- 27 जून, 2018 को आयोजित शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक में सार्वजनिक प्रस्ताव/योग्य संस्थागत स्थानन और/या अन्य रूप में पूंजी जुटाने के विकल्पों के माध्यम से 10/- रुपये प्रत्येक के 150,00,00,000 इक्विटी शेयर जारी करने के लिए एक विशेष प्रस्ताव पारित किया गया।
- 20 फरवरी, 2019 को आयोजित शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक में तीन विशेष प्रस्ताव पारित किए गए जिसके माध्यम से जिनके माध्यम से बैंक के शेयरधारकों द्वारा निम्नलिखित अनुमोदन प्रदान किए गए हैं- i) सेबी आईसीडीआर विनियम, 2018 के विनियम 164(1) के अनुसार निर्धारित 3076 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश के सापेक्ष 20.95 रुपये प्रति शेयर के निर्गम मूल्य पर अधिमानतः आधार पर भारत सरकार को 146,82,57,756 इक्विटी शेयर को जारी एवं आवंटन करना ii) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 के तहत कर्मचारी शेयर खरीद योजना नामक यूको बैंक ईएसपीएस 2019 के माध्यम से कर्मचारियों को 20,00,00,000 इक्विटी शेयर जारी करना, iii) योग्य संस्थागत स्थानन के माध्यम से 1000 करोड़ रुपये की कुल राशि के लिए इक्विटी शेयर जारी करना।
- 25 मार्च, 2019 को आयोजित शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक में एक विशेष प्रस्ताव पारित किया गया जिसके अनुसार बैंक के शेयरधारकों ने इसे सक्षम करने के लिए बोर्ड को अपनी स्वीकृति प्रदान की जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सेबी आईसीडीआर विनियम, 2018 के विनियम 164(1) के अनुसार निर्धारित 3330 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश के सापेक्ष 19.01 रुपये प्रति शेयर के निर्गम मूल्य पर अधिमानतः आधार पर भारत सरकार को 175,17,09,626 इक्विटी शेयर जारी एवं आवंटन करना था।
- 06 नवंबर, 2019 को आयोजित शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक में एक विशेष प्रस्ताव पारित किया गया जिसके अनुसार बैंक के शेयरधारकों ने इसे सक्षम करने के लिए बोर्ड को अपनी स्वीकृति

A notice of Extraordinary General Meeting was issued to the shareholders on 19.10.2020 for election of one shareholder director from amongst the shareholders of the Bank other than Central Government under Section 9(3) (i) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970. In response to the notice, Bank has received valid nominations from two candidates for contesting of election of Director. However, one of the candidates who filed nomination withdrew his nomination before contesting election. As there is only one valid nomination from Shri K Rajivan Nair available for contest, no election of director was held and he is deemed to have been elected as director pursuant to Regulations 66(1) of UCO Bank (Shares and Meetings) Regulations 2003. Extraordinary General Meeting scheduled on 26th November, 2020 stood cancelled since there was no other agenda to be transacted at the meeting. Shri K Rajivan Nair is elected as Director w.e.f 01.02.2021 for a period of three years after determination of Fit and Proper status by Nomination and Remuneration Committee of the Board in terms of RBI notification dated 02.08.2019.

5.2. Attendance of the Directors in the last Annual General Meeting:

The last Annual General Meeting was held on 7th August, 2020 through Video Conference (VC). Shri A.K. Goel, Managing Director & Chief Executive Officer, Shri Ajay Vyas, Executive Director and Shri Asish Saha, Part-time non-official Director and Chairman of Audit Committee of the Board, attended the meeting.

5.3. Special Resolutions passed during last three years:

- In the Annual General Meeting of the shareholders held on 27th June, 2018, a special resolution passed for issue of 150,00,00,000 equity shares of Rs.10/- each through Follow on public offer/Qualified Institutional Placement and/ or other capital raising options.
- In the Extraordinary General Meeting of the shareholders held on 20th February, 2019 three special resolutions have been passed through which following approvals have been accorded by the shareholders of the Bank (i) for issue and allot of 146,82,57,756 equity shares to Government of India on preferential basis at an issue price of Rs.20.95 per share determined in accordance with Regulation 164(1) of SEBI ICDR Regulations 2018 against its capital infusion of Rs.3076 Crore. ii) Issue of 20,00,00,000 equity shares to employees through Employees Share Purchase Scheme namely UCO Bank ESPS 2019 under Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014, iii) issue of equity shares for an aggregate amount of Rs.1000 Crores through Qualified Institutional Placement.
- In the Extraordinary General Meeting of the shareholders held on 25th March, 2019 a special resolution was passed in terms of which the shareholders of the Bank accorded their approval to the Board enabling it, inter alia, to issue and allot of 175,17,09,626 equity shares to Government of India on preferential basis at an issue price of Rs.19.01 per share determined in accordance with 164(1) of SEBI ICDR Regulations 2018 against its capital infusion of Rs.3330 crore.
- In the Extra Ordinary General Meeting of the shareholders held on 6th November, 2019 a special resolution was passed in terms of which the shareholders of the Bank accorded

प्रदान की जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सेबी आईसीडीआर विनियम, 2018 के विनियम 164(1) के अनुसार निर्धारित 2130 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश के सापेक्ष 16.89 रुपए प्रति शेयर के निर्गम मूल्य पर अधिमानतः आधार पर भारत सरकार को 126,11,01,243 इक्विटी शेयर जारी एवं आवंटन करना था।

- v) 14 फरवरी, 2020 को आयोजित शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक में एक विशेष प्रस्ताव पारित किया गया जिसके अनुसार बैंक के शेयरधारकों ने इसे सक्षम करने के लिए बोर्ड को अपनी स्वीकृति प्रदान की जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सेबी आईसीडीआर विनियम, 2018 के विनियम 164(1) के अनुसार निर्धारित 2142 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश के सापेक्ष 16.54 रुपए प्रति शेयर के निर्गम मूल्य पर अधिमानतः आधार पर भारत सरकार को 129,50,42,321 इक्विटी शेयर जारी एवं आवंटन करना था।
- vi) 7 अगस्त, 2020 को आयोजित शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक में सार्वजनिक प्रस्ताव/योग्य संस्थागत स्थानन और/या अन्य रूप में पूंजी जुटाने के विकल्पों के माध्यम से 10/- रुपये प्रत्येक के 300,00,00,000 इक्विटी शेयर जारी करने के लिए एक विशेष प्रस्ताव पारित किया गया।

6.0 संचार के साधन:

बैंक का मानना है कि सभी हितधारकों को बैंक की गतिविधियों, कार्य और उत्पाद पहल की पूरी जानकारी होनी चाहिए। बैंक की प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध रखनेवाले स्टॉक एक्सचेंजों को बैंक के परिचालन और वित्तीय कार्यनिष्पादन के संबंध में उस तारीख को ही सूचित कर दिया जाता है जिस दिन बैंक के वित्तीय विवरणों का अनुमोदन/समीक्षा करनेवाली निदेशक मंडल की बैठक होती है। इसके अतिरिक्त बैंक का तिमाही/छमाही वार्षिक वित्तीय परिणाम बैंक की वेबसाइट (www.ucobank.com) पर प्रदर्शित किया जाता है। बैंक के ऐसे परिणाम को प्रेस विज्ञापितियों/विज्ञापनों के माध्यम से सार्वजनिक करने के साथ ही प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों एवं अन्य सचि लेनेवाले व्यक्तियों के समक्ष भी प्रस्तुत किया जाता है।

सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अनुसार 30.06.2020, 30.09.2020 एवं 31.12.2020 को समाप्त तिमाही के बैंक के गैर-लेखापरीक्षित किंतु समीक्षित वित्तीय परिणाम निर्धारित समय सीमा के भीतर कम से कम पूरे या अनौपचारिक रूप से पूरे भारत में प्रसारित होने वाले एक अंग्रेजी भाषा के राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र तथा क्षेत्र की भाषा में प्रकाशित एक दैनिक समाचार पत्र, जहां बैंक का पंजीकृत कार्यालय स्थित है यानी बांग्ला में प्रकाशित किए गए।

पूर्ण वार्षिक रिपोर्ट की सॉफ्ट प्रतियां उन सभी शेयरधारकों को भेजी जाती हैं, जिन्होंने अपना ई-मेल पता या तो बैंक के पास या डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत किया है और वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतिलिपि अन्य शेयरधारकों को भेजी जाती है। हालांकि, सेबी के 15 जनवरी, 2021, के परिपत्र के अनुसार, शेयरधारकों को कोई हार्ड कॉपी नहीं भेजी जाती है। केवल सॉफ्ट कॉपी उन सभी शेयरधारकों को भेजी जाती है जिनके ईमेल पते जमाकर्ताओं या बैंक के शेयर ट्रांसफर एजेंट के पास पंजीकृत हैं।

7.0 साधारण शेयरधारकों के लिए सूचना :

7.1 रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट, शेयर अंतरण प्रणाली और निवेशकों की शिकायतों का निवारण:

बैंक द्वारा मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद (पूर्व में कार्वा फिन्टेक प्राइवेट लिमिटेड के रूप में जाना जाता था) को अपना रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट नियुक्त किया गया है। शेयर/बांड के

their approval to the Board enabling it, inter alia, to issue and allot of 126,11,01,243 equity shares to Government of India on preferential basis at an issue price of Rs.16.89 per share determined in accordance with 164(1) of SEBI ICDR Regulations 2018 against its capital infusion of Rs.2130 crore.

- v) In the Extra Ordinary General Meeting of the shareholders held on 14th February, 2020 a special resolution was passed in terms of which the shareholders of the Bank accorded their approval to the Board enabling it, inter alia, to issue and allot of 129,50,42,321 equity shares to Government of India on preferential basis at an issue price of Rs.16.54 per share determined in accordance with 164(1) of SEBI ICDR Regulations 2018 against its capital infusion of Rs.2142 crore.
- vi) In the last Annual General Meeting of the shareholders held on 7th August, 2020, a special resolution passed for issue of 300,00,00,000 equity shares of Rs.10/- each through Follow on public offer/Qualified Institutional Placement and/ or other capital raising options.

6.0. Means of Communication:

The Bank believes that all the stakeholders should have access to complete information on its activities, performance and product initiatives. The information about the operational and financial performance of the Bank are communicated to the Stock Exchanges, where the securities of the Bank are listed immediately on the date of Board meeting approving/reviewing the financial statements of the Bank, besides posting of quarterly/half-yearly/annual financial results in Bank's website (www.ucobank.com). Such results are also made public through press releases/advertisements as well as by presentation made to the representatives from print and electronic media and other interested members of the public.

As per the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 Unaudited but Reviewed financial results of the Bank for the quarters ended on 30.06.2020, 30.09.2020 & 31.12.2020 were published within the prescribed time limit in at least one English Language national daily newspaper circulating in whole or substantially the whole of India and in one daily newspaper published in the language of the region, where the registered office of the Bank is situated i.e. in Bengali.

Soft copies of full Annual Report is sent to all those shareholders who have registered their e-mail address(es) either with the Bank or with Depositories and physical copy of Annual Report is sent to other shareholders. However, in line with SEBI circular dated 15th January, 2021, no hard copy is sent to the shareholders. Only soft copy is sent to all shareholders whose email addresses are registered with Depositories or Bank's Share Transfer Agent.

7.0. General Shareholders Information:

7.1 Registrar and Share Transfer Agent, Share Transfer System & Redressal of Investor's Grievances:

M/s KFin Technologies Private Limited (Formerly known as Karvy Fintech Private Limited), Hyderabad has been appointed by the Bank as its Registrars and Share Transfer Agent. All grievances

मुद्दे के संबंध में अन्य गतिविधियों के अलावा, पते में परिवर्तन, बैंक अधिदेश में परिवर्तन/अद्यतन, शेयरों के संचारण से संबंधित सभी शिकायतें उनके निम्नलिखित पते पर उन्हें संबोधित की जा सकती हैं:

मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड

(इकाई: यूको बैंक)

कार्वी सेलेनियम टावर बी, प्लॉट नं. 31 एवं 32
गचीबाउली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा
हैदराबाद - 500032

फोन : 040-67162222, टोल फ्री नं. 1800 345 4001

फैक्स : 040 23420814

ई-मेल : einward.ris@kfintech.com

बैंक ने निवेशकों के होल्डिंग के संबंध में विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्त विभाग, प्रधान कार्यालय, कोलकाता में पूर्ण सुविधा के साथ कक्ष स्थापना की है। निवेशकों की शिकायतें यदि बैंक के कार्यालयों में या रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट के कार्यालय में प्राप्त होती हैं, तो उनका त्वरित निष्पादन किया जाता है। भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के दिशानिर्देशों के अनुपालन में, यूको बैंक के शेयरों के बारे में शेयरधारकों / निवेशकों द्वारा किसी भी शिकायत के लिए एक विशिष्ट ई-मेल आईडी- hosgr.calcutta@ucobank.co.in बनाया गया है।

निवेशक अपना अनुरोध / शिकायत बैंक के पास निम्नलिखित पते पर मेल कर सकते हैं:

श्री एन.पूर्ण चंद्र राव
कंपनी सचिव
यूको बैंक : प्रधान कार्यालय
वित्त विभाग
2, इंडिया एक्सचेंज प्लेस, तीसरा तल,
कोलकाता-700 001

टेलीफोन सं. (033)44557227
फैक्स सं. (033) 2248-5625
ई-मेल: hosgr.calcutta@ucobank.co.in

regarding change of address, change/updation of bank mandate, transmission of shares, amongst other activities in connection with the issue of Shares/ Bonds may be addressed to them in their following address:

M/s. KFin Technologies Private Limited

(Unit : UCO Bank)

Karvy Selenium Tower B, Plot No. 31&32,
Gachibowli, Financial District, Nanakramguda,
Hyderabad - 500032

Phone: 040-67162222, Toll Free No. 1800 345 4001

Fax: 040 23420814

e-mail: einward.ris@kfintech.com

To meet various requirements of investor regarding their shareholding, the Bank has established full-fledged cell at Finance Department, Head Office, Kolkata. The investors' grievances whether received at the Bank's Offices or at the office of the registrar and share transfer agent are redressed expeditiously. In compliance with the SEBI guidelines, a dedicated email id- hosgr.calcutta@ucobank.co.in has been created for any complaints by the shareholders/investors regarding UCO Bank Shares.

The investors can mail their request /complaint to the Bank in the following address :

Shri N Purna Chandra Rao
Company Secretary
UCO Bank : Head Office
Finance Department
2, India Exchange Place, 3rd Floor,
Kolkata - 700 001

Telephone No. (033)44557227
Fax No. (033) 2248-5625
E-mail : hosgr.calcutta@ucobank.co.in


7.2.1 शेयर मूल्य का उतार-चढ़ाव

बीएसई बैंकेक्स और एनएसई निफ्टी 50 का तुलनात्मक इक्विटी प्रदर्शन निम्नलिखित लाइन चार्ट में प्रस्तुत किया गया है:


7.2.1 Share Price Movement

The equity performance in comparison to BSE Bankex and NSE Nifty 50 is presented in the following line charts:

एनएसई में स्टॉक प्रदर्शन / STOCK PERFORMANCE AT NSE (वित्तीय वर्ष/FY 2020-21)



बीएसई में स्टॉक प्रदर्शन / STOCK PERFORMANCE AT BSE (वित्तीय वर्ष/FY 2020-21)



*Share Price indicates monthly closing prices

7.2.2 बाज़ार मूल्य आंकड़े

बैंक के शेयरों का क्रय-विक्रय दिनांक 09.10.2003 को शुरू हुआ। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एनएसई) बंबई स्टॉक एक्सचेंज लि. (बीएसई) में क्रय-विक्रय किए गए शेयरों का मासिक उच्च/निम्न भाव और टर्नओवर निम्नानुसार रहा:

7.2.2 Market Price Data

The trading of the Bank's shares commenced on 09.10.2003. The monthly high/low quotations and turnover of the share trading in The National Stock Exchange of India Ltd. (NSE), Bombay Stock Exchange Ltd. (BSE) during the financial year 2020-21 were as follows:

माह Month	नेशनल स्टाक एक्सचेंज/N.S.E				बंबई स्टाक एक्सचेंज/B.S.E			
	उच्च High(₹)	निम्न Low(₹)	बंद Close	टर्नओवर(करोड़ ₹ में) Turnover (₹ in crore)	उच्च High(₹)	निम्न Low(₹)	बंद Close	टर्नओवर(करोड़ ₹ में) Turnover (₹ in crore)
अप्रैल/Apr-20	14.90	9.05	12.80	43.90	14.88	9.08	12.87	4.79
मई/May-20	12.25	10.90	10.95	14.15	12.26	10.91	10.98	1.58
जून/Jun-20	16.15	11.65	14.85	204.86	16.14	11.69	14.81	27.45
जुलाई/Jul-20	15.05	13.00	14.05	140.96	15.05	13.03	14.07	17.63
अगस्त/Aug-20	14.15	13.45	13.65	89.09	14.14	13.45	13.70	10.34
सितंबर/Sep-20	14.30	11.95	12.15	57.17	14.31	11.92	12.18	8.09
अक्टूबर/Oct-20	12.60	11.40	11.60	37.72	12.60	11.39	11.61	4.98
नवंबर/Nov-20	12.35	11.65	12.35	39.76	12.38	11.70	12.38	5.97
दिसंबर/Dec-20	13.85	12.25	12.70	96.33	13.86	12.26	12.68	13.37
जनवरी/Jan-21	13.35	12.75	12.85	92.46	13.38	12.76	12.83	11.82
फरवरी/Feb-21	15.30	12.85	13.90	466.35	15.30	12.83	13.94	53.92
मार्च/Mar-21	14.05	10.90	11.00	434.91	14.08	10.92	10.99	50.58

* Monthly high & low price are based on daily closing prices of shares

7.3. शेयरों का अमूर्तीकरण

7.3.1 सेबी ने अपनी प्रेस विज्ञापित संख्या 12/2019 दिनांक 27.03.2019 द्वारा निर्णय किया है कि प्रतिभूतियों के प्रसारण या स्थानांतरण के मामलों को छोड़कर, प्रतिभूतियों के हस्तांतरण को प्रभावित करने के अनुरोधों को तब तक संसाधित नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रतिभूतियों को दिनांक 01.04.2019 से डिपॉजिटरी के साथ अमूर्तीकरण रूप में नहीं रखा जाता है। इसलिए, हम शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि वे अपनी भौतिक होल्डिंग को तुरंत अमूर्तीकरण कर दें। अमूर्तीकरण के लिए, शेयरधारक अपने संबंधित निक्षेपागार सहभागी से संपर्क कर सकते हैं, जहां वे अपने संबंधित डीमैट खाते को बनाए रखते हैं। अमूर्तीकरण के लाभ इस प्रकार हैं:

- झंझट रहित अंतरण;
- शेयर प्रमाणपत्र के नुकसान का कोई खतरा नहीं;
- लाभांश/कॉर्पोरेट लाभों का प्रत्यक्ष और शीघ्र जमा;
- नामांकन सुविधा;
- एएसबीए/आईपीओ आदि के माध्यम से प्रत्यक्ष आवेदन।

भौतिक/डीमैट रूप में शेयर रखने वाले और अभी तक अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे भारत सरकार की हरित पहल का समर्थन करने के लिए अपनी ई-मेल आईडी को बैंक के आरटीए/अपने संबंधित निक्षेपागार सहभागी के साथ पंजीकृत करें।

बैंक के इक्विटी शेयर अनिवार्य रूप से डीमैट रूप में क्रय-विक्रय किए जाने हेतु उपलब्ध हैं। शेयरों के अमूर्तीकरण के लिए बैंक ने एनएसडीएल एवं सीडीएसएल के साथ समझौता किया है। शेयरधारक अपना खाता रखनेवाले निक्षेपागार सहभागियों के पास अपने शेयरों का अमूर्तीकरण एनएसडीएल या फिर सीडीएसएल के जरिए करवा सकते हैं। बैंक के इक्विटी शेयरों का आईएसआईएन कूट आईएनई 691ए 01018 है।

वर्ष 2020-21 के लिए स्टॉक एक्सचेंजों तथा डिपॉजिटरी के वार्षिक सूचीकरण शुल्क तथा कस्टडी शुल्क का भुगतान नियत तारीख को किया गया है।

7.3.2 बैंक के पास दिनांक 31 मार्च, 2021 तक भौतिक एवं अमूर्तीकरण रूप में इक्विटी शेयरों की संख्या निम्नलिखित है:

विवरण Particulars	शेयरों की संख्या No. of Shares	%शेयरधारिता % Shareholding
मूर्त/Physical	1,04,21,337	0.11
एनएसडीएल/NSDL	37,89,68,231	3.82
सीडीएसएल/CDSL	952,89,51,054	96.07
योग/Total	991,83,40,622	100.00

7.3. Dematerialization of Shares

7.3.1 SEBI vide its Press Release No. 12/2019 dated 27.03.2019 has decided that except in case of transmission or transposition of securities, requests for effecting transfer of securities shall not be processed unless the securities are held in dematerialized form with a depository w.e.f. 01.04.2019. Hence, shareholders are requested to dematerialize their physical holding immediately.

For dematerialization, shareholders may contact their respective Depository Participant, where they maintain their respective demat account. Benefits of dematerialization are as follows:

- Hassle free transfer ;
- No threat of loss of share certificate;
- Direct and prompt credit of Dividend / Corporate benefits;
- Nomination facility;
- Direct application through ASBA/IPO etc.

Shareholders holding shares in Physical / Demat form and not yet registered their email IDs are requested to register their e-mail ID with RTA of Bank / their respective Depository participant to support GOI's green initiatives.

The equity shares of the Bank are available for trading compulsorily in Demat form. The Bank has entered into an agreement with NSDL and CDSL for dematerialisation of shares. Shareholders can get their shares dematerialised with their Depository Participants maintaining their account either with NSDL or CDSL. The ISIN Code for the Bank's equity share is INE691A01018.

Annual Listing Fee and Custody Fee of Stock Exchanges and Depositories for the year 2020-21 are paid by the Bank within due dates.

7.3.2 As on 31st March, 2021, the bank has following number of equity shares in physical and dematerialized form :

7.3.3 बैंक अपनी डी.एन. रोड शाखा, मुंबई के जरिए राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (एनएसडीएल) के निक्षेपागार सहभागी (डी.पी) के रूप में कार्य कर रहा है। डी पी सेवा निम्नलिखित चुनिंदा शाखाओं, यथा-इंडिया एक्सचेंज प्लेस शाखा, कोलकाता, आश्रम रोड शाखा, अहमदाबाद, संसद मार्ग शाखा, नई दिल्ली, के.जी. रोड शाखा, बेंगलुरु, चेन्नै (मुख्य) शाखा, तथा बंजारा हिल्स शाखा, हैदराबाद में उपलब्ध कराई गई है जिससे अधिकाधिक ग्राहक उसका लाभ उठा सकें। बैंक ने एनएसडीएल और सीडीएसएल को उनकी अभिरक्षा सेवाओं के लिए वार्षिक शुल्क का भुगतान किया है।

7.3.4 बैंक ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान कोई जीडीआर/एडीआर/वारंट या कोई परिवर्तनीय लिखत जारी नहीं की है।

7.3.5 बैंक जिस बाजार की गतिविधियां नहीं करता है।

7.3.3 The Bank is functioning as a Depository Participant (D.P) of National Securities Depository Ltd. (NSDL) through D.N. Road Branch, Mumbai. The D.P. Services have since been extended to cover wide range of customers through select branches namely, India Exchange Place Branch, Kolkata, Ashram Road Branch, Ahmedabad, Parliament Street Branch, New Delhi and KG Road Branch, Bangalore, Chennai (Main) Branch and Banjara Hills Branch, Hyderabad. The Bank has paid the annual fees to NSDL and CDSL for their custodial services.

7.3.4 The Bank has not issued any GDRs/ADRs/Warrants or any convertible instruments during the period under review

7.3.5 The Bank does not undertake commodity market activities.

7.4 शेयरधारिता का वितरण

7.4 DISTRIBUTION OF SHAREHOLDING

7.4.1 दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार शेयरधारिता का स्वरूप / Shareholding Pattern As on 31.03.2021

शेयरधारकों की श्रेणी Category of Shareholders	धारकों की सं. No. of holders	धारित शेयरों की संख्या No. of shares held	इक्विटी का % % of equity
अ. प्रवर्तक की शेयरधारिता A. Promotes' shareholding			
भारत सरकार / Government of India	1	9367292970	94.44
आ. संस्थाएं B. Institutions			
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक Foreign Portfolio Investors	24	10548712	0.11
वित्तीय संस्थाएं/बैंक / Financial Institutions/Banks	10	572361	0.01
बीमा कंपनियां / Insurance Companies	5	153238638	1.55
म्यूचुअल फंड्स/ Mutual Funds	4	3794715	0.04
इ/सी. गैर-संस्थाएं / Non-Institutions			
i. ₹ 2 लाख तक के सामान्य शेयर पूंजी वाले वैयक्तिक शेयरधारक Individual shareholders holding nominal share capital up to ₹2 lakhs	370294	268296431	2.71
ii. ₹ 2 लाख से अधिक के सामान्य शेयर पूंजी वाले वैयक्तिक शेयरधारक Individual shareholders holding nominal share capital in excess of ₹ 2 Lakhs	2050	89870613	0.91
भारतीय रिजर्व बैंक में पंजीकृत एनबीएफसी NBFCs Registered with RBI	2	2400	0.00
ई/डी. अन्य/Others			
न्यास / Trust	15	40673	0.00
अनिवासी भारतीय / Non Resident Indians	966	3188219	0.03
समाशोधन सदस्य / Clearing Members	172	10954829	0.11
अनिवासी भारतीय गैर-प्रत्यावर्तनीय Non Resident Indian non repatriable	701	1038120	0.01
कार्पोरेट निकाय / Bodies corporates	955	9501941	0.10
योग/ TOTAL	375199	9918340622	100.00

7.4.2 31.03.2021 को शेयरधारिता श्रेणी का वितरण/Distribution of Shareholders Category wise as on 31.03.2021

श्रेणी(राशि ₹ में)/Category (Amt. in ₹)		शेयरधारकों की सं. No. of Share – Holders	कुल शेयरधारकों का % % of the total Shareholders	कुल शेयरों की सं. No. of Total Shares	कुल शेयरों का % % of the total Shares
से/From	तक/To				
1	5000	360687	96.14	139767471	1.40
5001	10000	6283	1.67	47431333	0.48
10001	20000	6002	1.60	85668524	0.86
20001	30000	1107	0.30	27440598	0.28
30001	40000	394	0.11	13852127	0.14
40001	50000	237	0.06	10971197	0.11
50001	100000	340	0.09	24003391	0.24
100001	और अधिक/And above	149	0.04	9569205981	96.48
कुल/TOTAL		375199	100.00	9918340622	100.00

7.4.3 दिनांक 31.03.2021 स्थिति के अनुसार फ्रॉक के शीर्ष 10 शेयरधारक **7.4.3 Top 10 shareholders of the Bank as on 31.03.2021**

क्र.सं. SN	शेयरधारक का नाम Name of the Shareholder	शेयरों की सं. No. of Share	कुल पूंजी में शेयर का % % if shares to total Capital
1	प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया /President of India	9367292970	94.44
2	लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया Life Insurance Corporation of India	152379882	1.54
3	इमर्जिंग मार्केट्स कोर इक्विटी पोर्टफोलियो (दि पोर्टफोलियो) ऑफ डीएफए इन्वेस्टमेंट डायमेंशन ग्रुप आईएनसी (डीएफएआईडीजी) Emerging Markets Core Equity Portfolio (The Portfolio) of DFA Investment Dimensions Group Inc.(DFAIDG)	2841300	0.03
4	इमर्जिंग मार्केट्स स्माल कैप सीरीज ऑफ द डीएफए इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कंपनी Emerging Markets Small Cap Series of The DFA Investment Trust Company	2632442	0.03
5	एंजेल ब्रोकिंग लिमिटेड /Angel Broking Limited	2114763	0.02
6	संदीप कुमार हिसारिया /Sandeep Kumar Hisaria	2114499	0.02
7	निप्पन लाइफ इंडिया ट्रस्टी लि. /Nippon Life India Trustee Ltd	1991215	0.02
8	डाइमेंशनल इमर्जिंग मार्केट्स वैल्यू फंड/Dimensional Emerging Markets Value Fund	1814473	0.02
9	कोटक पीएसयू बैंक ईटीएफ/Kotak PSU Bank ETF	1073468	0.01
10	स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. /Stock HLDG Corp OF I Ltd	1503346	0.02

7.5 कार्पोरेट लाभ/लाभांश परंपरा

शेयरधारकों को भुगतान किए गए लाभांश का विवरण निम्नानुसार है:

7.5 Corporate Benefits/Dividend History

Details of dividend paid to the shareholders are as under:

वर्ष Year	लाभांश प्रति शेयर (₹) Dividend Per Share (₹)	वर्ष Year	लाभांश प्रति शेयर (₹) Dividend Per Share (₹)
2003-04	0.80	2009-10	1.50
2004-05	1.00	2010-11	3.00
2005-06	-	2011-12	3.00
2006-07	1.00	2012-13	1.60
2007-08	1.00	2013-14 (अंतरिम/Interim)	2.00
2008-09	1.00	अंतिम/Final	1.00
		2014-15	2.00
		2015-16 to 2020-21	शून्य/NIL

7.5.1. निवेशकर्ता शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आईईपीएफ) में अदत्त/अदावी लाभांश राशि का अंतरण

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10 (बी)(1) के अनुसार जो लाभांश राशियां अदावी लाभांश खातों में अंतरित किए जाने की तारीख से सात वर्ष की अवधि तक अदत्त या अदावी रहती हैं उन्हें केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित निवेश शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित कर दिया जाएगा। इन प्रावधानों का अनुपालन करते हुए बैंक ने वर्ष 2003-04, 2004-05, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 का अदत्त लाभांश आईईपीएफ को अंतरित किया।

7.5.2. दावे नहीं किए गए शेयर

बैंक के आरंभिक पब्लिक ऑफर जारी करने के बाद कुछ शेयर सर्टिफिकेट हमारे रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंटों के पास एप्लीकेशन फॉर्म में लिखे हुए पते के ठीक नहीं होने के कारण वापस लौट आए हैं। इसके बाद हुए परिवर्तन में बैंक को बोनाफाइड शेयर होल्डरों और ऐसे शेयरों के मालिकों से दावे अथवा अनुरोध प्राप्त होने हैं। सेबी एलओडीआर विनियम के अनुसार बैंक से अपेक्षा की जाती है कि वह बोनाफाइड शेयर होल्डरों अथवा उसके मालिकों से अब तक दावे न किए गए ऐसे शेयरों को डिमैटरलाएज़ करे।

दिनांक 31.03.2021 तक जिन शेयरों का दावा नहीं किया गया है उनका विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं. Sl No	विवरण Particulars	शेयरधारकों की सं. No. of shareholders	शामिल शेयरों की सं. No. of shares involved
i.	दिनांक 01.04.2020 की स्थिति के अनुसार अदावाकृत शेयर/ Shares unclaimed as on 01.04.2020	204	28100
ii.	वर्ष 2019-20 के दौरान दावाकृत और हिताधिकारी खाते में अंतरित शेयर/ Shares claimed and transferred to Beneficiary account during the year 2020-21	शून्य/NIL	शून्य/NIL
iii.	दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार अदावाकृत शेयर Shares unclaimed as on 31.03.2021	204	28100

असली धारक द्वारा दावा किए जाने तक दावा नहीं किए गए शेयरों के मामले में मताधिकार बद्धवत रहेगा।

7.6 बॉण्ड

7.6.1 बैंक ने समय-समय पर डिबेंचर प्रकृति के असुरक्षित, प्रतिदेय, अपरिवर्तनीय बॉण्ड उठाए हैं। दिनांक 31.03.2021 को ऐसे बकाया बांडों का विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं. निर्गम विवरण SN. Issue Description	आईएसआईएन नं. ISIN No.	आकार (₹ करोड़ में) Size (₹ in Rs. Crore)	निर्गम की तारीख Date of Issue	परिपक्वता की तारीख Date of Maturity	क्रय विकल्प की तारीख Call option date
1. 9% बॉण्ड शृंखला XII 9% Bond Series XII	INE691A09185	1000	28.12.2012	28.12.2022	क्रय विकल्प नहीं No Call option
2. 8.95% बासेल III टियर II बॉण्ड 8.95% Basel III Tier II Bonds	INE691A08047	1000	31.03.2017	31.03.2027	31.03.2022
3. 9.64% बासेल III टियर II बॉण्ड 9.64% Basel III Tier II Bonds	INE691A08054	500	28.06.2019	28.06.2029	क्रय विकल्प नहीं No Call option
4. 9.71% बासेल III टियर II बॉण्ड 9.71% Basel III Tier II Bonds	INE691A08062	500	16.12.2019	16.12.2029	क्रय विकल्प नहीं No Call option

7.5.1. Transfer of Unpaid/Unclaimed Dividend amount to Investor Education and Protection Fund (IEPF)

As per Section 10 (B) (1) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the dividend amounts which remain unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of transfer to unclaimed dividend accounts, shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by Central Government. In pursuant to the above provisions, Bank transferred unclaimed dividend for the years 2003-04, 2004-05, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 2011-12, 2012-13 and 2013-14 (interim) to IEPF.

7.5.2. Unclaimed Shares

Few of the share certificates issued after the Bank's Initial Public Offer returned undelivered to our Registrar & Share Transfer Agents on account of improper address mentioned in the application forms and subsequent change in addresses of the shareholders. Bank is yet to receive claim/request from the bona fide shareholders/owners of such shares. As per the SEBI LODR Regulations, the Bank is required to dematerialize the shares which remained unclaimed by the bonafide shareholders/owners of such shares.

Following are details of the shares unclaimed as on 31.03.2021 :

The voting rights in respect of the unclaimed shares will remain frozen till the claim by the rightful owner.

7.6 BONDS

7.6.1 The Bank has raised unsecured, redeemable, non-convertible bonds in the nature of debentures from time to time. The details of such bonds outstanding as on 31.03.2021 are as follows:

7.6.2 निर्गत करने के लिए बॉण्ड ट्रस्टी:

बैंक ने उपर्युक्त सभी बॉण्ड मुद्दों, बॉण्ड के निवेशकों के हितों के बचाव एवं सुरक्षा के लिए बॉण्ड ट्रस्टी के रूप में मेसर्स आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड, मुंबई को नियुक्त किया है। ट्रस्टी का पता नीचे दिया गया है:

आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड
एशियन भवन, भू-तल,
17, आर कमानी मार्ग, बल्लार्ड एस्टेट
मुंबई - 400 001. फोन: (002) 40807000;
ई-मेल: itsl@idbitrustee.com

7.6.2 Bond Trustee to the Issue:

The Bank has appointed M/s IDBI Trusteeship Services Ltd., Mumbai as Bond Trustees to all the above Bond Issues, to safeguard and to protect the interest of the investors of the Bonds. Address of the Trustee is given below:

IDBI Trusteeship Services Ltd.
Asian Building, Ground Floor,
17, R Kamani Marg, Ballard Estate
Mumbai - 400 001. Tel: (022) 40807000;
Email: itsl@idbitrustee.com

7.6.3 क्रेडिट रेटिंग/Credit Rating

रेटिंग एजेंसी का नाम Name of the Rating Agencies	9% बॉण्ड श्रृंखला XII 9% Bond Series XII	8.95% बासेल III टियर II बॉण्ड 8.95% Basel III Tier II Bonds	9.64% बासेल III टियर II बॉण्ड 9.64% Basel III Tier II Bonds	9.71% बासेल III टियर II बॉण्ड 9.71% Basel III Tier II Bonds
ब्रिकवर्क रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड Brickwork Ratings India Pvt. Ltd.	ए+(स्थिर) A+(Stable)	ए+(स्थिर) A+(Stable)	---	---
क्रिसिल लिमिटेड CRISIL Ltd.	ए+ स्थिर A+ Stable	---	---	---
इंडिया रेटिंग एवं रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड India Rating & Research Pvt. Ltd.	---	एए-(नकारात्मक) AA - (Negative)	एए-(नकारात्मक) AA - (Negative)	एए-(नकारात्मक) AA - (Negative)
एक्विट रेटिंग्स एंड रिसर्च लिमिटेड Acuite Ratings & Research Ltd.	---	---	एए - (स्थिर) AA - (Stable)	एए - (स्थिर) AA - (Stable)

8.0 प्रकटीकरण :

बैंक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और विविध उपबंध) योजना 1970 द्वारा शासित होता है। सेबी के निदेशों के अनुसार सूचीबद्ध सरकारी क्षेत्र के बैंकों पर लागू, सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के प्रावधान उसी सीमा तक लागू होंगे कि वह उन पर लागू संबंधित कानूनों एवं इस संबंध में भारत सरकार/ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों का अतिक्रमण नहीं करता है।

8.1 निदेशकों का पारिश्रमिक :

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान पूर्णकालिक निदेशकों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का विवरण निम्नलिखित है। पूर्णकालिक निदेशकों को देय 'उत्पादकता से जुड़े प्रोत्साहन' के अलावा प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा कार्यपालक निदेशक का पारिश्रमिक केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है।

8.0. Disclosures:

The Bank is governed under the Banking Regulations Act 1949, Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertaking) Act 1970, Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970. In terms of SEBI directives, the provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 will apply for Listed Public Sector Banks, only to the extent that it does not violate the relative statutes applicable to them and the guidelines issued by Government of India/Reserve Bank of India from time to time.

8.1. Remuneration of Directors:

Following are the details of remuneration paid to whole time director during the financial year 2020-21. Other than "Productivity Linked Incentives" payable to the whole time directors, the remuneration of the Managing Director & CEO and Executive Director is fixed by the Central Government.

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक/ Key Management Personnel	अवधि/ Period	मर्दे / Items	राशि (लाख ₹ में)/ Amount (₹ in lakhs)
श्री ए के गोयल एमडी एवं सीईओ Shri A. K. Goel MD & CEO	01.04.2020 से/to 31.03.2021	पारिश्रमिक, अनुलाभ एवं प्रोत्साहन / Remuneration, perquisites & Incentive जमाराशि/Deposits यूको शेयर में निवेश/Investments in UCO Shares प्राप्त ब्याज/Interest Received उधार/Borrowings	30.45 20.89 0.00 1.00 0.00
श्री अजय व्यास ईडी Shri Ajay Vyas ED	01.04.2020 से/to 31.03.2021	पारिश्रमिक, अनुलाभ एवं प्रोत्साहन / Remuneration, perquisites & Incentive जमाराशि/Deposits यूको शेयर में निवेश/Investments in UCO Shares प्राप्त ब्याज/Interest Received उधार/Borrowings	25.82 2.27 0.00 0.14 1.88
श्री इशराक अली खान ईडी Shri Ishraq Ali Khan ED	10.03.2021 से/to 31.03.2021	पारिश्रमिक, अनुलाभ एवं प्रोत्साहन / Remuneration, perquisites & Incentive जमाराशि/Deposits यूको शेयर में निवेश/Investments in UCO Shares प्राप्त ब्याज/Interest Received उधार/Borrowings	1.47 1.39 0.00 0.00 0.00

8.1.1 गैर-कार्यकारी निदेशक को भुगतान किया गया बैठक शुल्क :

पूर्णकालिक निदेशक बैठक शुल्क के लिए पात्र नहीं हैं। आंकाकालिक निदेशकों को निम्नलिखित दर पर बैठक शुल्क के अलावा बैंक उन्हें कोई अन्य पारिश्रमिक नहीं देता है।

निदेशक मंडल की बैठक के लिए : प्रति बैठक ₹ 40,000/-
समिति की बैठक के लिए : प्रति बैठक ₹ 20,000/-
और प्रति सदस्य समिति की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए ₹ 5,000/-

हालांकि, गैर-कार्यकारी निदेशक को भुगतान करने के मानदंड बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं (<https://www.ucobank.com/english/SEBI-DISCLOSURE.aspx>)

गैर-कार्यकारी निदेशकों को राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 के प्रावधानों के साथ पठित सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार निदेशक मंडल और निदेशक मंडल समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है। वर्ष 2020-21 के दौरान भुगतान किए गए बैठक शुल्क का विवरण निम्नानुसार है:

8.1.1 Sitting Fee paid to Non-Executive director:

Whole time directors are not entitled for sitting fee. The Bank does not pay any remuneration to the part time directors except sitting fees at the following rates.

For Board Meeting : ₹40,000/- per sitting
For Committee Meeting : ₹20,000/- per sitting and ₹5000/- per chairing committee meetings.

However, the criteria for making payment to Non-executive director is hosted on the Bank's website (<https://www.ucobank.com/english/SEBI-DISCLOSURE.aspx>)

The Sitting Fee is paid to the non-Executive Directors as per the provisions of Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970, read with Government guidelines for attending Board and Board Committee meetings. Details of sitting fee paid during the Year 2020-21 are as under :

क्र. सं. SI No.	निदेशक का नाम Name of the Director	राशि (₹.) Amount (Rs)
1.	डॉ. अरविंद शर्मा / Dr. Arvind Sharma	4,00,000/-
2.	डॉ. आशीष साहा / Dr. Asish Saha	11,35,000/-
3.	श्री के राजीवन नायर / Shri K Rajivan Nair	11,55,000/-

8.2 भौतिक लेनदेन तथा आर्थिक संबंध का प्रकटीकरण :

बैंकिंग कारोबार के सामान्य अनुक्रम के अतिरिक्त बैंक ने अपने प्रवर्तकों, निदेशकों या प्रबंधन आदि के साथ कोई ऐसा तात्त्विक उल्लेखनीय लेनदेन नहीं किया है जो बैंक के व्यापक हितों पर संभावित संकट पैदा कर सके। वर्ष के दौरान बैंक के परिप्रेक्ष्य में गैर-कार्यपालक निदेशक का कोई आर्थिक संबंध या लेनदेन नहीं था।

बैंक के निदेशक तथा वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता के अनुपालन में निदेशकगण, निदेशक मंडल या उसकी उपसमितियों की उन बैठकों में होने वाले विचार-विमर्श में भाग नहीं लेते हैं जिनमें निदेशकगण या उनके नातेदारों से संबंधित मामलों पर चर्चा की जाती है।

8.3 सार्वजनिक निर्गम आदि से प्राप्त राशि

बैंक को इक्विटी शेयर के अधिमानतः आवंटन के लिए दिनांक 31 मार्च, 2021 को भारत सरकार से ₹ 2600/- करोड़ का पूँजी सहयोग प्राप्त हुआ है। ऐसी राशि को शेयर आवेदन राशि, लंबित आवंटन के तहत रखा जाता है। बैंक, भारत सरकार को इक्विटी शेयर जारी एवं आवंटित करेगा जो शेयरधारकों के अनुमोदन सहित नियामक अनुमोदन के अधीन होगा। प्राप्त पूँजी का उपयोग बैंक की सामान्य इक्विटी एवं टियर 1 पूँजी को बढ़ाने के उद्देश्य से किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बैंक ने पब्लिक/राइट इयू के माध्यम से कोई इक्विटी शेयर नहीं जुटाए।

8.4. 31 मार्च, 2021 को समाप्त पिछले तीन वर्षों के दौरान पूँजी बाज़ार से संबंधित किसी भी मामले पर सेबी या किसी अन्य सांविधिक/नियामक प्राधिकरण द्वारा बैंक पर कोई गैर-अनुपालन का आरोप, दंड, आक्षेप नहीं लगाया गया है।

8.5 बैंक के संबंधित पार्टी लेनदेन का प्रकटीकरण 31.03.2021 के तुलन-पत्र के लेख पर नोट में किया गया है। संबंधित पार्टी लेनदेन से संबंधित नीति बैंक की वेबसाइट के तहत <https://www.ucobank.com/aboutus/Policies/RelatedPartyTransactionPolicy> पर दी गई है।

8.6 बैंक जिस बाजार की गतिविधियां नहीं करता है; इसलिए जिस मूल्य जोखिम और जिस हेजिंग गतिविधियों के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

8.7 दिनांक 31 मार्च, 2021 को निदेशक मंडल के निदेशकों के बीच कोई अंतर्संबन्ध नहीं है।

8.8 बैंक सार्वजनिक हित प्रकटीकरण और सूचनाओं के संरक्षण (पीआईडीपीआई) संकल्प के तहत व्हिसल ब्लोअर नीति की शिकायतों पर केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशानिर्देशों का पालन करता है। बैंक ने व्हिसल ब्लोअर नीति तैयार की है जो बैंक की वेबसाइट <https://www.ucobank.com/> पर उपलब्ध है।

8.9 किसी भी कर्मियों को निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति तक पहुँचने से वंचित नहीं किया गया है।

8.10 बैंक ने सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 34 और अनुसूची V के तहत प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है और सेबी / कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय एवं किसी भी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किए गए किसी भी निदेशक को प्रतिबंधित या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

8.11 गैर-कार्यकारी/स्वतंत्र निदेशकों को प्रदान किये गये परिचय कार्यक्रमों का विवरण बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है <https://www.ucobank.com/investors/shareholders information/SEBI Disclosure>

8.2. Disclosure of Material Transactions and Pecuniary relationship:

Other than those in the normal course of banking business, the Bank has not entered into any materially significant transaction with its promoters, directors or the management etc. that may have potential conflict with the interest of the Bank at large. There was no pecuniary relationship or transactions of the non-executive director vis-à-vis the Bank during the year.

In compliance of the Code of Conduct for Directors and Senior Management of the Bank, Directors do not take part in the deliberations of the Board and its sub-committees when the matters relating to them or their relatives are discussed.

8.3. Proceeds from Public Issues, Preferential issues etc.

Bank has received capital contribution of Rs.2600 crore from Government of India on 31st March, 2021 towards preferential allotment of equity shares. Such amount is kept under share application money, pending allotment. Bank will issue and allot equity shares to Government of India subject to regulatory approvals including shareholders' approval. The Capital received will be utilized for the purpose of shoring up the Common equity and Tier 1 Capital of the Bank. Bank did not raise any Equity Shares by way of Public/Right Issue during the financial year 2020-21.

8.4. There is no instance of non-compliance, penalties, strictures imposed on the Bank by SEBI or any other statutory/regulatory authority on any matter related to Capital Markets during the last three year ended on 31st March, 2021.

8.5. The related party transactions of the Bank are disclosed in the Note to accounts of the Balance Sheet as on 31.03.2021. The Policy on dealing with Related Party Transactions placed on website of the Bank under <https://www.ucobank.com/about us /Policies /Related Party Transaction Policy>.

8.6. The Bank does not undertake commodity market activities; hence there is no information on Commodity price risk and Commodity hedging activities.

8.7. Directors on the board have no inter se relationship as on 31st March, 2021

8.8. Bank follows Central Vigilance Commission (CVC) guidelines on Whistle Blower policy complaints under Public Interest Disclosure and Protection of Informers (PIDPI) resolution. Bank has framed Whistle Blower Policy which is available on the Bank's website at <https://www.ucobank.com/investors/shareholders information/SEBI Disclosure>

8.9 No personnel have/ has been denied access to the Audit Committee of the Board.

8.10 The Bank has obtained certificate under Regulation 34 and schedule V of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and none of the directors have been debarred or disqualified from being appointed by SEBI/ Ministry of Corporate Affairs and any statutory authority.

8.11 Details of familiarisation programmes imparted to Non-Executive /Independent Directors is available on the bank's website at <https://www.ucobank.com/investors/shareholders information/SEBI Disclosure>

8.12 बैंक का लाभांश वितरण दिशानिर्देश बैंक की वेबसाइट <https://www.ucobank.com/investors/shareholders information/SEBI Disclosure> पर उपलब्ध है।

8.13 सांविधिक लेखा परीक्षकों और नेटवर्क फर्म/नेटवर्क इकाई जिसका सांविधिक लेखा परीक्षक एक हिस्सा है, को समेकित आधार पर सूचीबद्ध इकाई और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा भुगतान की गई सभी सेवाओं के लिए कुल शुल्क :

लेखापरीक्षकों 'शुल्क एवं व्यय' (शाखा लेखापरीक्षकों सहित) Auditors' fee and expenses (including Branch auditors)	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष Year ended 31st March 2021	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष Year ended 31st March 2020
	46.74 करोड़/crore	42.69 करोड़/crore

8.14 कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के संबंध में प्रकटीकरण:

वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या Number of Complaints filed during the Financial year	2
वर्ष के दौरान निपटाए गए शिकायतों की संख्या Number of Complaints disposed off during the year	0
वित्तीय वर्ष के अंत तक लंबित शिकायतों की संख्या Number of Complaints pending as on end of the financial year	2

8.12 Dividend Distribution guidelines of the Bank is available on Bank's Website at <https://www.ucobank.com/investors/shareholders information/SEBI Disclosure>.

8.13 Total fees for all services paid by the listed entity and its subsidiaries, on a consolidated basis to the Statutory Auditors and all entities in the network firm/network entity of which the statutory auditor is a part:

8.14 Disclosure in relation to the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013:

9.0 विवेकाधीन आवश्यकताओं का अनुपालन

बैंक ने समय-समय पर संशोधित सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 में प्रदत्त सभी लागू अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया है। गैर अनिवार्य अपेक्षाओं के अनुपालन की स्थिति इस प्रकार है:

9.0 COMPLIANCE TO DISCRETIONARY REQUIREMENTS

The Bank has complied with all the applicable mandatory requirements as provided in SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time to time. The extent of implementation of discretionary requirements is as under:

क्र.सं. SN	विवेकाधीन आवश्यकताएं Discretionary Requirements	अनुपालन की स्थिति Status of Implementation
1.	निदेशक मंडल / The Board एक गैर-कार्यकारी अध्यक्ष सूचीबद्ध इकाई के खर्च पर एक अध्यक्ष कार्यालय को बनाए रखने का हकदार हो सकता है और अपने कर्तव्यों के निष्पादन में किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति भी कर सकता है। A non-executive chairperson may be entitled to maintain a chairperson's office at the listed entity's expense and also allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his duties.	भारत सरकार ने बैंक के बोर्ड में गैर-कार्यपालक अध्यक्ष को नामित नहीं किया है। वर्तमान में एमडी और सीईओ अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। Government of India has not nominated non-executive chairperson on the Board of the Bank. MD & CEO is currently acting as a chairperson .
2.	शेयरधारक का अधिकार / Shareholders Rights पिछले छह महीनों की महत्वपूर्ण घटनाओं के सारांश सहित वित्तीय प्रदर्शन की छमाही घोषणा, प्रत्येक शेयरधारकों के घर में भेजी जा सकती है। A half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant events in last six-months, may be sent to each household of shareholders.	बैंक वित्तीय परिणाम को वेबसाइट पर अपलोड कर अनुपालन सुनिश्चित करता है। The Bank ensures compliances by uploading the financial results on the Bank's website.
3.	लेखा-परीक्षा योग्यता / Audit Qualifications कंपनी अनधिकृत वित्तीय विवरणों की व्यवस्था की ओर अग्रसर हो सकती है। Company may move towards a regime of unqualified financial statements.	वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट अनधिकृत है। The Audit Report on the financial statements is unqualified.
4.	आंतरिक लेखा परीक्षक की रिपोर्टिंग / Reporting of Internal Auditor आंतरिक लेखा परीक्षक सीधे लेखापरीक्षा समिति को रिपोर्ट कर सकता है। The Internal Auditor may report directly to the Audit Committee.	बैंक का अपना आंतरिक लेखा परीक्षा / निरीक्षण होता है और उनकी रिपोर्ट को समय-समय पर लेखापरीक्षा समिति के पास समीक्षा के लिए रखा जाता है। The Bank has its own Internal Audit/Inspection and their report are periodically placed to the Audit Committee for review.

बैंक ने सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 से 27 एवं विनियम 46 (2) के खंड (ख) से (झ) तथा अनुसूची V के पैरा ग, घ और ङ में निर्दिष्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस आवश्यकताओं का अनुपालन इस सीमा तक किया है कि विनियमों की आवश्यकताएं बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 के प्रावधानों और समय-समय पर भारत सरकार / भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी संबंधित दिशा-निर्देशों और निदेशों का उल्लंघन नहीं करती हैं।

10.0 कार्पोरेट अभिशासन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अधीन यथापेक्षित सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षकों द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए कार्पोरेट अभिशासन पर लेखापरीक्षित प्रमाणपत्र निदेशक मंडल को प्रस्तुत किया गया है और यह कार्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट 2020-21 का अभिन्न अंग है।

11.0 सीईओ एवं सीएफओ का प्रमाणपत्र

सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अधीन सीईओ एवं सीएफओ का प्रमाणपत्र निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और यह कार्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट 2020-21 का अभिन्न अंग है।

12.0. बैंक-आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि

मैं घोषणा करता हूँ कि निदेशक मंडल के सभी सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बैंक की आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

कृते यूको बैंक
ह/-
(ए. के. गोयल)
प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

The Bank has complied with Corporate Governance requirements specified in Regulation 17 to 27 and clauses (b) to (i) of Regulation 46(2) and para C , D and E of Schedule V of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, to the extent that the requirements of the regulations do not violate the provisions of Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertaking) Act 1970 and the relative guidelines and directions issued by Government of India/Reserve Bank of India from time to time.

10.0. Auditors Report on Corporate Governance

As required under SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Auditors' Certificate on Corporate Governance for the year 2020-21 issued by the Statutory Central Auditors is submitted to the Board of Directors and the same is part & parcel of the Corporate Governance Report 2020-21.

11.0. CEO & CFO CERTIFICATE

The Certificate of CEO & CFO under SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, is submitted to the Board of Directors and the same is part & parcel of the Corporate Governance Report 2020-21.

12.0. AFFIRMATION OF COMPLIANCE WITH THE BANK'S CODE OF CONDUCT

I declare that all Board Members and Senior Management have affirmed compliance with the Bank's Code of Conduct for the Financial Year 2020-21.

For UCO Bank
sd/-
(A. K. Goel)
Managing Director &
Chief Executive Officer